रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17072026-274576
CG-DL-E-17072026-274576

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 530] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 7, 2026/आषाढ 16, 1948
No. 530] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 7, 2026/ASHADHA 16, 1948

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 588(अ).—केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) की धारा 131, धारा 133 की उपधारा (2), उपधारा (4) तथा उपधारा (5), धारा 134, धारा 135 की उपधारा (2) तथा धारा 142 की उपधारा (1) को धारा 143 के साथ पठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा वाणिज्य पोत परिवहन (पोतों से मल-प्रदूषण की रोकथाम) नियम, 2010 को, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या किए जाने से रह गई बातों के संबंध में छोड़कर, अधिक्रमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

प्रथम अध्याय

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –

इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (जलयानों से मल-प्रदूषण की रोकथाम) नियम, 2026 है।

ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं-(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 2025 (2025 का 24) अभिप्रेत है;

(ख) “प्रशासक” से भारतीय जलयानों के लिए महानिदेशक अभिप्रेत है तथा किसी अन्य राज्य का ध्वज फहराने के हकदार जलयान के संबंध में उस राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(ग) “प्रशासक” पोतों से प्रदूषण की रोकथाम संबंधी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1973 का उपाबद्ध IV, जिसमें उसका 1978 का नयाचार सम्मिलित है;

(घ) “वार्षिकी तारीख” से प्रत्येक वर्ष का वह दिन और महीना अभिप्रेत है जो प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख के अनुरूप हो;

(ङ) “प्रमाणपत्र” से, यथास्थिति, अंतरराष्ट्रीय मल-प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र या भारतीय मल-प्रूदषण निवारण प्रमाणपत्र या मानव रहित गैर-स्व-प्रचालित मालवाहक पोतों (बार्ज) के लिए अंतरराष्ट्रीय मल-प्रदूषण निवारण छूट प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(च) “अभिसमय” से पोतों से प्रदूषण की रोकथाम संबंधी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1973, जिसमें उसका 1978 का नयाचार सम्मिलित है, तथा जो समय-समय पर संशोधित किया गया हो, अभिप्रेत है;

(छ) “विद्यमान यात्री जलयान” से ऐसा यात्री जलयान अभिप्रेत है जो नया यात्री जलयान नहीं है;

(ज) “विद्यमान जलयान” से ऐसा जलयान अभिप्रेत है जो नया जलयान नहीं है;

(झ) “प्ररुप” से इन नियमों से संलग्न प्ररुप अभिप्रेत है;

(ञ) “निकटतम स्थल से” वह आधार रेखा अभिप्रेत है जिससे संबंधित राज्यक्षेत्रीय समुद्र अंतरराष्ट्रीय विधि के अनुसार स्थापित किया जाता है, किन्तु वर्तमान अभिसमय के प्रयोजनों के लिए ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पूर्वी तट के निकट “निकटतम स्थल से” आशय ऑस्ट्रेलिया के तट पर निम्निलिखित बिंदुओं से खींची गई रेखा से होगा :

अक्षांश 11°00’ दक्षिण देशांतर 142°08’ पूर्व

अक्षांश 10°35’ दक्षिण, देशांतर 141°55’ पूर्व स्थित बिंदु तक

वहां अक्षांश 10°00’ दक्षिण, देशांतर 142°00’ पूर्व स्थित बिंदु तक

वहां अक्षांश 9°10’ दक्षिण, देशांतर 143°52’ पूर्व स्थित बिंदु तक

वहां अक्षांश 9°00’ दक्षिण, देशांतर 144°30’ पूर्व स्थित बिंदु तक

वहां अक्षांश 10°41’ दक्षिण, देशांतर 145°00’ पूर्व स्थित बिंदु तक

वहां अक्षांश 13°00’ दक्षिण, देशांतर 145°00’ पूर्व स्थित बिंदु तक

वहां अक्षांश 15°00’ दक्षिण, देशांतर 146°00’ पूर्व स्थित बिंदु तक

वहां अक्षांश 17°30’ दक्षिण, देशांतर 147°00’ पूर्व स्थित बिंदु तक

वहां अक्षांश 21°00’ दक्षिण, देशांतर 152°55’ पूर्व स्थित बिंदु तक

वहां अक्षांश 24°30’ दक्षिण, देशांतर 154°00’ पूर्व स्थित बिंदु तक
वहां से ऑस्ट्रेलिया के तट पर अक्षांश 24°42’ दक्षिण, देशांतर 153°15’ पूर्व स्थित बिंदु तक;

(ट) “गैर-मल-जल अपशिष्ट (ग्रे वाटर” से बरतन धोने के जल, रसोई, सिंक, शॉवर, कपड़े धोने के स्थान, स्नानगृह तथा वॉशबेसिन निकास से निकला जल अभिप्रेत है, जिसे तब तक मल नहीं माना जएगा जब तक कि वह शौचालयों, मूत्रालयों, अस्पतालों तथा पशु-स्थानों के निकास के साथ मिश्रित न हो;

(ठ) “धारण टैंक” से मल के संग्रहण और भंडारण के लिए प्रयुक्त टैंक अभिप्रेत है;

(ड) “नया यात्री जलयान” से ऐसा यात्री जलयान अभिप्रेत है-

(i) जिसके निर्माण के लिए संविदा 1 जून, 2019 को या उसके पश्चात् की गई हो या निर्माण संविदा के अभाव में जिसकी पोत की अधोरखा (कील) उस तारीख को या उसके पश्चात् रखी गई हो अथवा जो निर्माण की समान अवस्था में हो, या

(ii) जिसकी सुपुर्दगी 1 जून, 2021 के पश्चात् की गई हो;

(ढ) “नया जलयान” से ऐसा जलयान अभिप्रेत है-

(i) जिसके निर्माण के लिए संविदा 27 सितम्बर, 2003 को या उसके पश्चात् की गई हो या निर्माण संवदि के अभाव में जिसकी पोत की अधोरेखा (कील) उस तारीख को या उसके पश्चात् रखी गई हो अथवा जो निर्माण की समान अवस्था में हो, या

(ii) जिसकी सुपुर्दगी 27 सितम्बर, 2003 के तीन वर्ष या उससे अधिक पश्चात् हुई हो;

(ण) “संगठन” से अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन अभिप्रेत है;

(त) “व्यक्ति” में चालक-दल का सदस्य तथा यात्री सम्मिलित है;

(थ) “ध्रवीय नौवहन सुरक्षा संहिता (पोलर कोड” से ध्रुवीय जलक्षेत्रों में परिचालित पोतों के लिए अंतरराष्ट्रीय संहिता अभिप्रेत है, जिसमें प्रस्तावना, भाग 1-क तथा भाग 2-क और भाग 1-ख तथा 2-ख सम्मिलित हैं, जिन्हें संकल्प समुद्री सुरक्षा समिति संकल्प 385 (94वाँ सत्र) तथा समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति संकल्प 264 (68वाँ सत्र) द्वारा अंगीकृत किया गया है और जो समय-समय पर संशोधित किए जा सकते हैं;

परंतु यह कि

(i) ध्रवीय नौवहन सुरक्षा संहिता (पोलर कोड) की प्रस्तावना तथा भाग 2 – क के अध्याय 4 के पर्यावरण संबंधी उपबंधों के संशोधन अभिसमय के उपाबद्ध की परिशिष्ट पर लागू संशोधन प्रक्रिया संबंधी अभिसमय के अनुच्छेद 16 के उपबंधों के अनुसार अंगीकृत, प्रवृत्त तथा प्रभावी किए जाएंगे; तथा

(ii) नौवहन सुरक्षा संहिता (पोलर कोड) के भाग 2-ख के संशोधन समुद्री पर्यावरण संरक्षण समिति द्वारा उसकी प्रक्रिया के नियमों के अनुसार अंगीकृत किए जाएंगे।

(द) "ध्रवीय जलक्षेत्र" से आर्कटिक जलक्षेत्र और/ या अंटार्कटिक क्षेत्र अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण – इस खंड के प्रयोजनों के लिए–

(i) आर्कटिक क्षेत्र से अक्षांश 60° दक्षिण के दक्षिण स्थित समुद्री क्षेत्र अभिप्रेत है।

(ii) "आर्कटिक जलक्षेत्र" से वे जलक्षेत्र अभिप्रेत हैं जो अक्षांश 58°00'.0 उत्तर तथा देशांतर 042°00'.0 पश्चिम से अक्षांश 64°37'.0 उत्तर, देशांतर 035°27.0 पश्चिम तक और वहां से स्थिर दिशा रेखा द्वारा अक्षांश 67°03.9 उत्तर, देशांतर 026°33'.4 पश्चिम तक तथा वहां से स्थिर दिशा रेखा द्वारा अक्षांश 70°49'.56 उत्तर तथा देशांतर 008°59.61पश्चिम (दक्षिण केप (स्पिटसबर्गेन), जैन मायेन द्वीप) तक और जैन मायेन द्वीप के दक्षिणी तट के साथ 73°31'.6 उत्तर तथा 019°01'.0 पूर्व तथा भालू द्वीप द्वारा और वहां से महान वृत्त रेखा द्वारा अक्षांश 68°38.29 उत्तर तथा देशांतर 043°23.0 पूर्व (आर्कटिक समुद्री अंतरीप) तक तथा वहां से एशियाई महाद्वीप के उत्तरी तटों के साथ पूर्व दिशा में बेरिंग जलडमरूमध्य तक और वहां से बेरिंग जलडमरूमध्य से पश्चिम दिशा में अक्षांश 60° उत्तर तक इल्यपिन्स्की बस्ती तक तथा 60वें उत्तरी समानांतर के साथं पूर्व दिशा में पश्चिमी अलास्का के जलडमरूमध्य सहित और वहां से उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के उत्तरी तट के साथ दक्षिण दिशा में अक्षांश 60° उत्तर तक तथा वहां से अक्षांश 60° उत्तर के समानांतर के साथ पूर्व दिशा में देशांतर 056°37.1 पश्चिम तक और वहां से अक्षांश 58°00.0 उत्तर, देशांतर 042°00.0 पश्चिम तक स्थित हों;

(ध) "अनुसूचित" से इन नियमों से संलग्न वह अनूसूची अभिप्रेत है जिसमें पोतों से प्रदूषण की रोकथाम संबंधी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय, 1973 के उपाबद्ध 4 की अपेक्षाएं, जिसमें उसका 1978 का नयाचार सम्मिलित है तथा जो समय-समय पर संशोधित किया गया हो, निहित हैं;

(न) "मल" से अभिप्रेत है-

(i) किसी भी प्रकार की शौचालयों तथा मूत्रालयों से निकासी तथा अन्य अपशिष्ट;

(ii) चिकित्सा परिसरों (औषधालय, रोगी कक्ष आदि) में स्थित वॉश बेसिन, धुलाई पात्र तथा बरनालों के माध्यम से निकासी;

(iii) जीवित पशुओं को रखने वाले स्थानों से निकासी; या

(iv) अन्य अपशिष्ट जल, जब वे ऊपर परिभाषित निकासों के साथ मिश्रित हों;

(प) "विशेष क्षेत्र" से ऐसा समुद्री क्षेत्र अभिप्रेत है जहां समुद्र-विज्ञान संबंधी तथा पारिस्थितिक दशाओं और उसके यातायात की विशेष प्रकृति से संबंधित मान्य तकनीकी कारणों से मल द्वारा समुद्री प्रदूषण की रोकथाम हेतु विशेष अनिवार्य उपायों को अपनाना अपेक्षित हो।

विशेष क्षेत्र निम्नलिखित हैं :

(i) बाल्टिक सागर क्षेत्र, जैसा कि पोतों से प्रदूषण की रोकथाम संबंधी अंतरराष्ट्रीय अभिसमय,1973

के उपाबद्ध 1 के विनियम 11.2 में, जिसमें उसका 1978 का नयाचार सम्मिलित है, परिभाषित किया गया है; तथा

(ii) कोई भी समुद्री क्षेत्र जिसे संगठन द्वारा जलयानों से मल-प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में विशेष क्षेत्रों के अभिनिर्देशन हेतु मानदंडों तथा प्रक्रियाओं के अनुसार अभिनिर्दिष्ट किया गया हो;

(फ) "उपचारित अपशिष्ट जल" से मल उपचार संयंत्र से छोड़ा गया उपचारित द्रव बहि:स्राव अभिप्रेत है; तथा

(ब) "मानवरहित गैर-स्व-प्रचारित सपाट तली मालवाहक पोत (बार्ज)" से ऐसा सपाट तली मालवाहक पोत (बार्ज) अभिप्रेत है जो-

(i) यांत्रिक साधनों द्वारा चालित न हो;

(ii) जिस पर न तो व्यक्ति हों और न ही जीवति पशु;

(iii) जिसका उपयोग परिवहन के दौरान मल को धारण करने के लिए न किया जाता हो; तथा

(iv) जिसमें ऐसी कोई व्यवस्था न हो जिससे मल उत्पन्न हो सके।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त वे शब्द और पद, जो इनमें परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उन्हें क्रमश: निर्दिष्ट किए गए हैं।

3. लागू होना-

(1) जब तक अन्यथा उपबंधित न हो, इन नियमों के उपबंध निम्नलिखित जलयानों पर लागू होंगे, -

(क) चार सौ या उससे अधिक सकल टनभार वाले नए जलयान;

(ख) चार सौ सकल टनभार से कम ऐसे नए जलयान, जिन्हें पंद्रह से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए प्रमाणित किया गया हो;

(ग) 27 सितम्बर, 2003 की तारीख से पांच वर्ष पश्चात् चार सौ या उससे अधिक सकल टनभार वाले विद्यमान जलयान;

(घ) 27 सितम्बर, 2003 की तारीख से पांच वर्ष पश्चात् चार सौ सकल टनभार से कम ऐसे विद्यमान जलयान, जिन्हें पंद्रह से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए प्रमाणित किया गया हो।

(2) उप-नियम (1) के उपबंधों के अधीन, चार सौ से कम सकल टनभार वाले तथा चार से अधिक व्यक्तियों को ले जाने के लिए प्रमाणित न किए गए जलयान, जब तटीय जलक्षेत्रों के भीतर परिचालित हों, अनुसूची 1 के पैरा 4 के उप-पैरा (5) में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे।

(3) महानिदेशक ये सुनिश्चित करेगा कि उप-नियम (1) के खंड (सी) और (डी) के अधीन विनिर्दिष्ट वे विद्यमान जलयान, जिनकी पोत की अधोरेखा (कील) 2 अक्टूबर, 1983 से पूर्व रखी गई थी अथवा जो

उस तारीख से पूर्व निर्माण की समान अवस्था में थे, उन्हें इस प्रकार सुसज्जित किया जाए कि वे अनुसूची 1 के पैरा 3 की अपेक्षाओं के अनुसार मल का निर्वहन कर सकें।

(4) जिन जलयानों पर ये नियम लागू होते हैं वे इन नियमों की अनुसूची में दी गई अपेक्षाओं का अनुपालन करेंगे।

4. अपवाद और छूट –

(1) अनुसूची 1 के पैरा 3 तथा ध्रुवीय नौवहन सुरक्षा संहिता (पोलर कोड) के भाग 2-क के अध्याय 4 की धारा 4.2 के उपबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे।

(i) जलयान तथा उस पर स्थित व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने अथवा समुद्र में जीवन बचाने के प्रयोजन से आवश्यक जलयान से मल का निर्वहन; या

(ii) जलयान या उसके उपकरण को हुई क्षति के परिणामस्वरूप मल का निर्वहन, यदि ऐसी क्षति की घटना से पूर्व तथा पश्चात् निर्वहन को न्यूनतम करने के प्रयोजन से सभी युक्तियुक्त सावधानियां बरती गई हों।

(2) महानिदेशक इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सर्वेक्षण किए जाने की शर्त पर, किसी मानवरहित गैर-स्व-प्रचालित सपाट तली मालवाहक पोत (बार्ज) को नियम 5 के उप-नियम (1) तथा नियम 6 के उप-नियम(1) की अपेक्षाओं से अंतरराष्ट्रीय मल-प्रदूषण निवारण छूट प्रमाणपत्र द्वारा, पांच वर्ष से अधिक न होने वाली अवधि के लिए छूट दे सकेगा।

द्वितीय अध्याय
सर्वेक्षण और प्रमाणन

5. सर्वेक्षण –

नियम 3 के उप-नियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रत्येक जलयान निम्नलिखित सर्वेक्षणों के अधीन होगा, अर्थात्:-

(क) जलयान को सेवा में लगाए जाने से पूर्व अथवा प्रमाणपत्र पहली बार जारी किए जाने से पूर्व प्रारंभिक सर्वेक्षण किया जाएगा और ऐसे प्रारंभिक सर्वेक्षण में उसकी संरचना, उपकरणों, प्रणालियों, फिटिंगों, व्यवस्थाओं तथा सामग्रियों का पूर्ण सर्वेक्षण सम्मिलित होगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे इन नियमों की अपेक्षाओं का पूर्णत: अनुपालन करते हैं;

(ख) नवीकरण सर्वेक्षण पांच वर्ष से अधिक न होने वाले अंतराल पर किया जाएगा, सिवाय उन स्थितियों के जहां नियम 9 के उप-नियम (3), (6), (7) तथा (8) के उपबंध लागू होते हों, और ऐसा नवीकरण सर्वेक्षण इस प्रकार का होगा जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि संरचना, उपकरण, प्रणालियां, फिटिंगें, व्यवस्थाएं तथा सामग्रियां इन नियमों की अपेक्षाओं का पूर्णत: अनुपालन करती हैं; तथा

(ग) परिस्थितियों के अनुसार, सामान्य अथ्वा आंशिक अतिरिक्त सर्वेक्षण तब किया जाएगा जब मरम्मत अपेक्षित हो अथवा जब भी महत्वपूर्ण मरम्मत या नवीकरण प्रभावी रूप से किए गए हैं तथा ऐसी मरम्मत या नवीकरण की सामग्री और कारीगरी सभी प्रकार से संतोषजनक है और जलयान सभी प्रकार से इन नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन करता है।

(2) महानिदेशक उन जलयानों के लिए, जो उप-नियम(1) के उपबंधों के अधीन नहीं हैं, उपयुक्त उपाय इस प्रकार विनिर्दिष्ट करेगा कि इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

(3) इन नियमों के उपबंधों को प्रवर्तित करने के प्रयोजनों के लिए जलयानों का सर्वेक्षण, यथास्थिति, सर्वेक्षक अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

(4) **महानिदेशक–**

(क) उपयुक्त समझी जाने वाली शर्तों के अधीन, उप-नियम (3) में निर्दिष्ट सर्वेक्षक अथवा प्राधिकृत व्यक्ति को जलयान की मरम्मत अपेक्षित करने तथा किसी अन्य राज्य के उपयुक्त प्राधिकारियों के अनुरोध पर सर्वेक्षण करने के लिए सशक्त करेगा; तथा

(ख) सर्वेक्षक अथवा प्राधिकृत व्यक्ति को इस प्रकार प्रदान की गई विशिष्ट जिम्मेदारियों तथा प्राधिकार की शर्तों की सूचना संगठन को देगा ताकि अन्य राज्यों में उनके अधिकारियों की जानकारी के लिए उसका प्रसारण किया जा सके।

(5) जब सर्वेक्षक अथवा प्राधिकृत व्यक्ति, यथास्थिति, यह निर्धारित करता है कि जलयान या उसके उपकरण की दशा प्रमाणपत्र में वर्णित विवरणों से पर्याप्त रूप से मेल नहीं खाती है अथवा ऐसी है कि जलयान समुद्री पर्यावरण को अनुचित क्षति की अशंका उत्पन्न किए बिना समुद्र में जाने के लिए उपयुक्त नहीं है, तब ऐसा सर्वेक्षक अथवा प्राधिकृत व्यक्ति तत्काल यह सुनिश्चित करेगा कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाए और यथासमय इसकी सूचना महानिदेशक को भी देगा :

परंतु जहां ऐसी सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है, वहां प्रमाणपत्र वापस ले लिया जाएगा और इसकी सूचना तत्काल महानिदेशक को दी जाएगी :

परंतु यह और कि यदि जलयान किसी अन्य राज्य के बंदरगाह में है, तो उस बंदरगाह राज्य के उपयुक्त प्राधिकारियों को तत्काल सूचना दी जाएगी।

(6) प्रशासन प्रत्येक मामले में ऐसे सर्वेक्षण की पूर्णता और दक्षता की पूर्ण गारंटी देगा तथा इस दायित्व की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करने का वचन देगा।

(7) जलयान तथा उसके उपकरणों की दशा इस प्रकार बनाए रखी जाएगी कि वह अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप हो तथा जलयान सभी प्रकार से समुद्री पर्यावरण को अनुचित क्षति की आशंका उत्पन्न किए बिना समुद्र में जाने के लिए उपयुक्त बना रहे।

(8) उप-नियम (1) के अधीन जलयान का कोई सर्वेक्षण पूर्ण हो जाने के पश्चात्, ऐसे सर्वेक्षण में सम्मिलित संचरचना, उपकरण, प्रणालियों, फिटिंगों, व्यवस्थाओं अथवा सामग्रियों में महानिदेशक की स्वीकृति के बिना कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, सिवाय ऐसे उपकरणों और फिटिंगों के प्रत्यक्ष प्रतिस्थापन के।

(9) जब कभी किसी जलयान के साथ दुर्घटना घटित होती है अथवा ऐसा दोष ज्ञात होता है जो जलयान की अखंडता या इन नियमों के अधीन अपेक्षित उसके उपकरणों की दक्षता अथवा पूर्णता को पर्याप्त रूप से प्रभावित करता है, तब जलयान का मास्टर या स्वामी यथाशीघ्र महानिदेशक को इसकी सूचना देगा, जो यह निर्धारित करने के लिए कि क्या उप-नियम (1) के अधीन अपेक्षित सर्वेक्षण आवश्यक है, सर्वेक्षक अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा जांच प्रारंभ करवाएगा:

परंतु यदि जलयान किसी अन्य संविदाकारी राज्य के बंदरगाह में है, तो मास्टर अथवा स्वामी संबंधित राज्य के प्रशासन को भी तत्काल सूचना देगा तथा उस प्रशासन के सर्वेक्षक अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ऐसे दोष का परीक्षण कराया जाएगा।

(6) प्रमाणपत्र का जारी किया जाना या पृष्ठांकन -

(1) नियम 5 के उपबंधों के अनुसार प्रारंभिक सर्वेक्षण अथवा नवीकरण सर्वेक्षण, यथास्थिति, किए जाने के पश्चात्, अभिसमय के अन्य संविदाकारी राज्यों के अधिकार क्षेत्राधीन बंदरगाहों अथवा अपतटीय टर्मिनलों की यात्राओं में संलग्न किसी भी जलयान को अंतरराष्ट्रीय मल-प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र अथवा मानवरहित गै-स्व-प्रचालित मालवाहक पोतों (बार्ज) के लिए छूट प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा और विद्यमान जलयानों के मामले में ऐसी अपेक्षा 27 सितम्बर, 2003 के पांच वर्ष पश्चात् लागू होगी।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाणपत्र महानिदेशक द्वारा जारी या पृष्ठांकित किए जाएंगे और प्रत्येक मामले में वह ऐसे प्रमाणपत्र के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व ग्रहण करेगा।

(3) महानिदेशक ऐसे किसी भी जलयान को, चाहे उसका सकल टनभार 400 से अधिक हो या कम, जो तटीय जलक्षेत्रों में बंदरगाहों अथवा अपतटीय टर्मिनलों की यात्राओं में संलग्न हो, भारतीय मल-प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(4) भारतीय नदी-समुद्र जलयानों, भारतीय नदी-समुद्र यात्री जलयानों तथा भारतीय तटीय जलयानों का सर्वेक्षण और प्रमाणन, उन पर लागू संबंधित विधियों के अनुसार किया जाएगा, जहां तक वे विधियां अभिसमय के उपाबद्ध 4 तथा इन नियमों की अपेक्षाओं को कार्यान्वित या अनुपूरित करती हैं।

7. अन्य प्रशासन के अनुरोध पर प्रमाणपत्र का जारी किया जाना या पृष्ठांकन-

(1) महानिदेशक, किसी विदेशी जलयान के प्रशासन के अनुरोध पर, किसी जलयान का सर्वेक्षण करवा सकेगा और यदि यह संतुष्ट हो कि अभिसमय के उपबंधों का अनुपालन किया गया है, तो उस जलयान को प्रमाणपत्र

जारी करेगा या किसी जारी किए जाने के लिए प्राधिकृत करेगा तथा जहां उपयुक्त हो, इन नियमों के अनुसार उस जलयान पर ऐसे प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन के लिए प्राधिकृत करेगा।

(2) उप-नियम (1) के अधीन इस प्रकार जारी प्रमाणपत्र में यह कथन होगा कि वह संबंधित प्रशासन के अनुरोध पर जारी किया गया है और वही प्रभाव प्राप्त होगा तथा वही मान्यता दी जाएगी जो उपाबद्ध के उपबंधों के अधीन जारी प्रमाणपत्र को प्राप्त होती है।

(3) प्रमाणपत्र की एक प्रति तथा सर्वेक्षण प्रतिवेदन की एक प्रति संबंधित प्रशासन को प्रेषित की जाएगी।

(4) ऐसे किसी जलयान को प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा जो ऐसे राज्य का ध्वज फहराने का हकदार हो जो अभिसमय का पक्षकार नहीं है।

8. मानवरहित गैर-स्व-प्रचालित मालवाहक पोतों (बार्ज) के लिए छूट प्रमाणपत्र का जारी किया जाना।

किसी जलयान का स्वामी या प्रचालक, सामान्य व्यवस्था योजना, क्षमता योजना तथा ऐसी अन्य योजनाएं या सूचना, जो अपेक्षित हो, संलग्न करते हुए महानिदेशक को आवेदन करेगा।

(क) प्रस्तुत योजनाओं तथा अन्य सूचनाओं का अनुपालन सत्यापित करने के लिए पुनर्विलोकन करेगा; तथा

(ख) सपाट तली मालवाहक पोत (बार्ज) का सर्वेक्षण करेगा ताकि यह पुष्टि की जा सके कि जलयान पर वास्तविक व्यवस्थाएं मानवरहित गैर-स्व-प्रचालित मालवाहक पोतों (बार्ज) के अनुरूप हैं।

(3) जहां महानिदेशक का यह समाधान हो जाता है कि उप-नियम(2) की शर्तों का अनुपालन किया गया है, तो वह मानव रहित गैर-स्व-चालित बजरा के लिए अंतरराष्ट्रीय मल प्रदूषण निवारण छूट प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(4) इस नियम के अधीन दी गई छूट प्रभावी नहीं होगी, और छूट प्रमाणपत्र वापस ले लिया जाएगा या रद्द कर दिया जाएगा, जहां –

(क) बजरा को ऐसी रीति में प्रचालित किया जाता है जो मानव रहित गैर-स्व-चालित बजरा की शर्तों का पालन नहीं करता है; या

(ख) ऐसी कोई भी व्यवस्था सुसज्जित की जाती है या उपयोग की जाती है जो मल सृजित कर सकती है, जब तक कि इसके पश्चात् इन नियमों के अनुसार बजरा का सर्वेक्षण और प्रमाणपत्रित नहीं किया जाता है।

(5) ऐसा कोई प्रमाणपत्र किसी को ऐसे राज्य का ध्वज फहराने के हकदार जलयान या बजरा को जारी नहीं किया जाएगा जो अभिसमय का पक्षकार नहीं है।

9. प्रमाणपत्र- (1) इन नियमों के अधीन प्रमाणपत्र इन नियमों के साथ संलग्न प्ररुपों में जारी किए जाएंगे।

(2) जारी किया गया प्रमाणपत्र अधिकतम पांच वर्ष की अवधि केलिए विधिमान्य होगा।

(3) उप-नियम(2) में अंतर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, जब नवीकरण सर्वेक्षण पूरा हो जाता है-

(क) विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति तारीख से तीन मास के भीतर, जारी किया गया नया प्रमाणपत्र विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए ऐसे नवीकरण सर्वेक्षण के पूरा होने की तारीख से विधिमान्य होगा;

(ख) विद्यमान प्रमाण पत्र की समाप्ति तारीख के पश्चात्, जारी किया गया नया प्रमाणपत्र विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए ऐसे नवीकरण सर्वेक्षण के पूरा होने की तारीख से विधिमान्य होगा; तथा

(ग) विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति तारीख से तीन मास से अधिक पहले, जारी किया गया नया प्रमाणपत्र ऐसे नवीकरण सर्वेक्षण के पूरा होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकरण सर्वेक्षण के पूरा होने की तारीख से विधिमान्य होगा।

(4) यदि कोई प्रमाणपत्र पांच वर्ष से कम की अवधि के लिए जारी किया जाता है, तो महानिदेशक प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की समाप्ति तारीख से परे उपनियम(2) में विनिर्दिष्ट अधिकतम अवधि तक बढ़ा सकता है।

(5) यदि नवीकरण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति तारीख से पहले नया प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जा सकेगा या जलयान बोर्ड पर रखा नहीं जा सकता है, तो महानिदेशक विद्यमान प्रमाणपत्र का समर्थन कर सकेगा और ऐसे प्रमाणपत्र को समाप्ति तारीख से पांच मास की अतिरिक्त अवधि के लिए विधिमान्य के रूप में स्वीकृत किया जाएगा।

(6) यदि, ऐसे समय में जब प्रमाणपत्र समाप्त हो जाता है, जलयान उस पत्तन में नहीं है जिसमें इसको सर्वेक्षित किया जाना है, या ऐसे अन्य मामलों में जैसा कि यह उचित और युक्तियुक्त समझे, महानिदेशक प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अविध बढ़ा सकेगा:

परंतु ऐसे विस्तार केवल जलयान को उस पत्तन तक अपनी जलयात्रा पूरी करने की अनुज्ञा देने के प्रयोजन से दिया जाएगा जिसमें इसको सर्वेक्षित किया जाना है:

परंतु यह और कि पोत जिसे विस्तार दिया गया है, उस पत्तन में उसके आगमन पर, जिसमें उसको सर्वेक्षित किया जाना है, नए प्रमाणपत्र के बिना उस पत्तन को छोड़न का हकदार नहीं होगा और नवीकरण सर्वेक्षण पूरा होने के पश्चात् जारी किया गया ऐसा नया प्रमाण पत्र, विस्तार दिए जाने से पहले विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

(7) जहां इस नियम के उपबंधों के अधीन छोटी जलयात्राओं पर लगे जलयान को जारी किए गए प्रमाणपत्र को विस्तारित नहीं गया है, महानिदेशक अनुग्रह की अविध को उसकी समाप्ति की तारीख से एकमास तक बढ़ा सकेंगे और नवीकरण सर्वेक्षण पूरा होने के पश्चात् जारी किया गया नया प्रमाणपत्र विस्तार दिए जाने से पहले विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

(8) ऐसी विशेष परिस्थितियों में जो महानिदेशक द्वारा अवधारित किया जाए, नया प्रमाणपत्र नवीकरण सर्वेक्षण के पूरा होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए जारी किया जाएगा, और न कि विद्यमान प्रमाणपत्र की समाप्ति की तारीख से जो उपनियम(3), उपनियम(6) और उपनियम(7) के खंड (ख) में यथाउपबंधित है और इन परिस्थितियों में, नया प्रमाणपत्र नवीकरण सर्वेक्षण के पूरा होने की तारीख से पांच वर्ष से अनधिक की तारीख तक विधिमान्य होगा।

(9) नियम 6, नियम 7 और 8 के अधीन जारी किया गया प्रमाणपत्र निम्नलिखित मामलों में विधिमान्य नहीं होगा, अर्थात् :-

(क) जहां सुसंगत सर्वेक्षण नियम 5 के उपनियम(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पूर नहीं किए जाते हैं; या

(ख) किसी अन्य राज्य पक्षकार के ध्वज में जलयान के अंतरण पर।

(10) भारत से किसी अन्य राज्य में अंतरण के मामले में, यदि ऐसे अंतरण के पश्चात् तीन मासके भीतर संबंधित प्रशासन द्वारा अनुरोध किया जाता है, तो महानिदेशक, यथाशीघ्र ऐसे अंतरण से पहले जलयान द्वारा ले जाए गए प्रमाणपत्र की प्रतियां और सर्वेक्षण रिपोर्ट की प्रतियां, यदि उपलब्ध हो, उस प्रशासन को प्रेषित करेंगे।

(11) किसी अन्य राज्य के ध्वज से जलयान के अंतरण के मामले में, महानिदेशक ऐसे जलयान को नया प्रमाणपत्र तभी जारी करेगा जब उसका पूर्ण रूप से समाधान हो जाता है कि जलयान नियम 5 के उपनियम (7) और उपनियम (8) की अपेक्षाओं के अनुपालन में है।

अध्याय 3

प्रकीर्ण

10. ग्रहण सुविधाएं – (1) महानिदेशक अधियिम की धारा 142 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार जलयानों को अनुचित विलंब किए बिना मलके ग्रहण केलिए पत्तनों और टर्मिनलों पर पर्याप्त सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित करेगा।

(2) महानिदेशक संगठन को सूचित करेगा, संबंधित संविदाकारी सरकारों को संप्रेषित करने के लिए, उन सभी मामलों के बारे में जहां उपाबंध 4 के विनियम 12 के अधीन उपबंधित की गई सुविधाएं अपर्याप्त होने का आरोप लगाया गया है।

(3) केंद्रीय सरकार यह सुनिश्चित करने का वचन देगी कि –

(क) मल के ग्रहण के लिए सुविधाएं पत्तनों और टर्मिनलों में उपबंधित की जाती हैंजो एक विशेष क्षेत्र में हैं और जिनका उपयोग यात्री जलयानों द्वारा किया जाता है;

(ख) सुविधाएं उन यात्री जलयानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं; तथा

(ग) ये सुविधाएं प्रचालित इसलिए की जाती है ताकि उप यात्री जलयानों को अनुचित विलंब न हो।

(4) केंद्रीय सरकार उपनियम(3) के अनुसरण में किए गए उपायों के संगठन को सूचित करेगी और जब तक संगठन उन तारीख को स्थापित नहीं करता है जिससे उपनियम(3) के खंड (ग) की अपेक्षाएं उपाबंध 4 के विनियम 13.2 के अधीन प्रभावी होंगी, तब तक प्रत्येक जलयान, विशेष क्षेत्र में नौपरिवाहक करते समय उपनियम (3) के खंड (ग) की अपेक्षाओं का पालन करेगा।

11. ध्रवीय जल – ध्रुवीय जल में प्रचालन करने वाले इन नियमों के अनुसार प्रमाणित जलयान इन नियमों की किसी भी अन्य्य लागू अपेक्षओं के अतिरिक्त, प्रस्तावना के पर्यावरण से संबंधित उपबंधों औरे ध्रुवीय संहिता के भाग 2 -क के अध्याय 4 का पालन करेंगे।

12. परिचालन अपेक्षाओं पर नियंत्रण – (1) जलयान जब भारत में पत्तन या अपतट टर्मिनल में होता है, तो इन नियमों के अधीन परिचालन अपेक्षाओं के संबंध में सर्वेक्षक या प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के अधीन होता है, जहां यह विश्वास करने के लिए स्पष्ट आधार हैं कि मास्टर या चालक दल मल द्वारा प्रदूषण के निवारण से संबंधित आवश्यक पोत परिवहन बोर्ड प्रकियाओं से परिचित नहीं हैं।

(2) उपनियम(1) में दी गई परिस्थितियों में, सर्वेक्षक या प्राधिकृत व्यक्ति ऐसे कदम उठाएगा जो यह सुनिश्चित करेगा कि जलयान तब तक नहीं चलेगा जब तक कि इन नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार स्थिति को व्यवस्थित नहीं किया जाता है।

(3) इस नियम की किसी बात से यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा जो केंद्रीय सरकार के अधिकारों और बाध्यताओं को सीमित करता है, जो विशेष रूप से अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या अभिसमय में उपबंधित की गई परिचालन अपेक्षाओं पर नियंत्रण रखता है।

13. शास्तियां और प्रवर्तन – (1) इन नियमों का कोई उल्लंघन या उनकी किसी भी अपेक्षा का पालन करने में असफलता अधिनियम में यथाविनिर्दिष्ट शास्तियों के लिए दायी होगी।

(2) कोई भी व्यक्ति जो इन नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में किसी भी जलयान का प्रचालन करता है, और जिसके लिए अधिनियम की धारा 281 की उपधारा (2) के अधीन कोई विशिष्ट शास्तियां उपबंधित नहीं की गई है, वह शास्ति के लिए दायी होगा जो पचास हजार रुपये तक की हो सकेगी, और यदि भंग जारी है, तो अतिरिक्त शास्ति से जो पहले दिन के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए पांच हजार रुपये तक की हो सकेगी, जिसके दौरान भंग जारी रहता है।

(3) इस नियम के अधीन किसी शास्ति का अधिरोपण स्वामी या मास्टर को अननुपालन को सुधारने की अपेक्षा से मुक्त नहीं करेगा।

अनुसूची 1
[नियम 3 और नियम 4 देखें]
निस्सारण के उपस्कर और नियंत्रण

1. मल प्रणाली – (1) नियम 3 में विनिर्दिष्ट प्रत्येक पोत जो इन नियमों के उपबंधों का अनुपालन करने के लिए बाध्य है, निम्नलिखित मल प्रणालियों में से एकसे सुसज्जित होगा, अर्थात्:-

(क) एमईपीसी.2(6), संकल्प एमईपीसी.159(55) और एमईपीसी.227(64) के अधीन संगठन द्वारा विकसित मानकों और परीक्षण पद्धतियों के संबंध में महानिदेशक द्वारा अनुमोदित एक प्रकार का मल उपचार संयंत्र, जो एमईपीसी.284(70) द्वारा यथासंशोधित, या संगठन द्वारा अपनाएं गए किसी भी पश्चात् के प्रस्ताव; या

(ख) महानिदेशक द्वारा अनुमादित मल संचार ओर कीटाणुशोधन प्रणाली:

परंतु कि ऐसी प्रणाली को मल के अस्थायी भंडारण के लिए महानिदेशक के समाधान के लिए ऐसी सुविधाओं से सुसज्जित किया जाएगा जब जलयान निकटतम भूमि से तीन समुद्री मील से कम हो; या

(ग) जलयान के प्रचालन, बोर्ड पर व्यक्तियों की संख्या और अन्य सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए, सभी मल को बनाए रखने के लिए महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट क्षमता का एक नियंत्री टैंक:

परंतु कि ऐसा नियंत्री टैंक ऐसी रीति में संनिर्मित किया जाएगा जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और इसकी अंतर्वस्तु की मात्रा को दृश्य और/या डिजिटल रूप से उपदर्शित करने के साधन होंगे।

(2) चार सौ से कम सकल टन भार के जलयानों के लिए व्यवस्था और पंद्रह व्यक्तियों या उससेकम को ले जाने के लिए प्रमाणित इस अनुसूची के पैरा 4 के अनुसार होगी।

(3) उपपैरा (1) से अल्पीकरण द्वारा, प्रत्येक यात्री जलयान जिसे नियम 3 का पालन करना अपेक्षित है, और जिसके लिए इस अनुसूची के पैरा 3 का उपपैरा (3) लागू होता है, निम्नलिखित मल प्रणाली में से एक से सुसज्जित होगा, अर्थात्:-

(क) मल उपचार संयंत्र जो महानिदेशक द्वारा अनुमोदित प्रकार का होगा, संगठन द्वारा विकसित मानकों और परीक्षण पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए, या

(ख) जलयान के प्रचालन, बोर्ड पर व्यक्तियों की संख्या और अन्य सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए, सभी मल को बनाए रखने के लिए महानिदेशक के समाधान के लिए क्षमता का एक नियंत्री टैंक :

परंतु कि ऐसा नियंत्री टैंक ऐसी रीति में संनिर्मित किया जाएगा जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए और इसकी अंतर्वस्तु की मात्रा को दृश्य और/या डिजिटल रूप से उपदर्शित करने के साधन होंगे।

2. मानक निस्सारण संयोजन – (1) जलयान की निस्सारण पाइपलाइनों के साथ ग्रहण सुविधाओं के पाइपों को जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए, दोनों लाइनों को निम्नलिखित सारणी के अनुसार मनक निस्सारण संयोजन के साथं सुसज्जित किया जाएगा, अर्थात् :-

सारणी

निस्सारण संयोजन के लिए कोर के मानक आयाम	
विवरण	**आयाम**
बाहरी व्यास	210 मिमी
भीतरी व्यास	व्यास के बाहर पाइप के अनुसार
बोल्ट वृत्त व्यास	170 मिमी
कोर में छिद्र	4 छेद, व्यास में 18 मिमी, उपरोक्त व्यास के बोल्ट वृत्त पर समान रूप से रखा गया, 18 मिमी की छिद्र चौड़ाई के साथं निकला हुआ किनारा परिधि पर छिद्र किया गया
कोर मोटाई	16 मिमी
बोल्ट और नट; मात्रा और व्यास	4, व्यास में 16 मिमी और उपयुक्त लंबाई का प्रत्येक
कोर 100 मिमी के अधिकतम आंतरिक व्यास तक के पाइप को स्वीकार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और इस्पात या अन्य समतुल्य सामग्री का होगा जिसमें सपाट आकृति होगी और यह निकला हुआ कोर, उपयुक्त गैसकेटके साथ, 600केपीए के सेवा दबाव के लिए उपयुक्त होगा: 5 मीटर और उससे कम की ढली हुई गहराई वाले जलयानों के लिए, निस्सारण संयोजन का आंतरिक व्यास 38 मिमी हो सकता है।	

(2) समपत व्यापारों में जलयानों अर्थात् यात्री फेरी के लिए इसकी निस्सारण पाइपलाइन को महानिदेशक के अनुमोदन से आनुकल्पिक रूप से त्वरित संयोजन

कपलिंग जैसे निस्सारण संयोजन के साथ लगाया जा सकेगा।

3. मल का निस्सारण – (1) नियम 4 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समुद्र में मल का निस्सारण प्रतिषिद्ध है, सिवाय इसके कि जब—

(क) जलयान निकटतम भूमि से 3 समुद्री मील से अधिक की दूरी पर इस अनुसूची के पैरा 1 के उपपैरा (1) के खंड (ख) के अनुसार महानिदेशक द्वारा अनुमोदित प्रणाली का उपयोग करके उपचारित अपशिष्ट जल का निस्सारण कर रहा है, या निकटतम भूमि से 12 समुद्री मील से अधिक की दूरी पर अनुपचारित मल, परंतु, किसी भी मामले में, मल जो नियंत्री टैंकों में भंडारित किया गया है, या जीवित पशुओं वाले स्थानों से उत्पन्न होने वाले मल को तुरंत नहीं किंतु मध्यम दर पर निस्सारित किया जाएगा जब जलयान रास्ते में हो और कम से कम 4 समुद्री मील पर आगे बढ़ रहा हो; निस्सारण की दर को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा विकसित मानकों के आधार पर महानिदेशक द्वारा अनुमोदित किया जाएगा; या

स्पष्टीकरण : निस्सारण की दर "संगठन द्वारा विकसित मार्गदर्शक सिद्धांतों, संकल्प एमईपीसी.157 (55), जो संगठन द्वारा संशोधित किया गया" के अनुसार है;

(ख) जलयान के संचालन में अनुमोदित मल उपचार संयंत्र है जिसे महानिदेशक द्वारा इस अनुसूची के पैरा 1 के उपपैरा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट परिचालन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रमाणित किया गया है, और अपशिष्ट दृश्यमान फ्लोटिंग ठोस पदार्थों का उत्पादन नहीं करेगा और न ही आसपास के जल के अपवर्णन का कारण बनेगा।

(2) उपपैरा (1) के उपबंध किसी अन्य देश की अधिकारिता के अधीन जल में परिचालित करने वाले जलयानों पर लागू नहीं होंगे, यद्यपि जलयान ऐसे देश के जल में है और ऐसे देश द्वारा अधिरोपित की जा सकने वाली कम कठोर अपेक्षाओं के अनुसार मल का निस्सारण कर रहा है।

(3) नियम 4 के उपबंधों के अधीन, विशेष क्षेत्र के भीतर यात्री जलयान से मल का निस्सारण प्रतिषिद्ध होगा, —

(क) यात्री जलयान के लिए, नियम 10 के उपनियम (3) के खंड (ख) के अनुसरण में संगठन द्वारा अवधारित तारीख पर, किंतु 1 जून, 2019 से पहले किसी भी स्थिति में; और

(ख) विद्यमान यात्री जलयान के लिए, नियम 10 के उपनियम (3) के खंड (ख) के अनुसार संगठन द्वारा अंगीकृत तारीख पर, किंतु 1 जून, 2021 से पहले किसी भी स्थिति में,

सिवाय इसके कि जब वह समाधान हो जाता है कि जलयान के पास अनुमोदित मल उपचार संयंत्र है जिसे महानिदेशक द्वारा इस अनुसूची के पैरा 1 के उपपैरा (3) के खंड (क) में निर्दिष्ट परिचालन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रमाणित किया गया है और प्रदर्शित दृश्यमान फ्लोटिंग ठोस का उत्पादन नहीं करेगा और न ही आसपास के जल का अपवर्णन करेगा।

(4) जब मल को अधिनियम के भाग 7 के अधीन अधिनियमित अन्य नियमों द्वारा समविष्ट किए गए अपशिष्टों या अपशिष्ट जल के साथ मिश्रित किया जाता है, तो इन नियमों की अपेक्षाओं के अतिरिक्त उन नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किया जाएगा।

4. मल नियंत्री टैंक - (1) मल नियंत्री टैंक में क्षमता मल को संचय रखने के लिए निम्नलिखित क्षमता होगी, जलयान के प्रचालन, बोर्ड पर व्यक्तियों की संख्या और अन्य सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए।

निस्सारण प्रक्रिया का प्रकार	लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन	
	पारंपरिक प्रणाली	वैक्यूम प्रणाली
मल (काला जल)	60	25
मल (काला और भूरा जल)	230	185

(2) टैंक की क्षमता मल से कम एक दिन के लिए मल को रखने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए या जलयान के जलयात्रा पैटर्न के अनुसार, उसे कम से कम तीन दिनों की अधिकतम संख्या जहां समुद्र में अनुपाचरित मल का निस्सारण प्रतिषिद्ध है, (न्यूनतम एक दिन)।

(3) मल नियंत्री टैकों मान्यता प्राप्त संगठन के समाधान के लिए संनिर्मित किए जाएंगे जो जलयानों को वर्गीकृत करते है और इसकी सामग्री (जैसे एक दृष्टि ग्लास) की मात्रा को दृश्य रूप से उपदर्शित करने का एक साधन होगा।

(4) मल प्रणाली में गिट्टी जल प्रणालियों के लिए नियम संयोजन नहीं होना चाहिए।

(5) 400 टन से कम सकल टन भार के जलयानों के लिए अतिरिक्त उपबंध और 15 व्यक्तियों या उससे कम ले जाने के लिए प्रमाणित - (क) चार सौ से कम सकल टन भार के प्रत्येक जलयान और पंद्रह व्यक्तियों या उससे कम ले जाने के लिए प्रमाणित निम्नलिखित मल उठाई-धराई व्यवस्थाओं में से एक के साथ उपबंधित किया जाएगा, -

(i) महानिदेशक द्वारा अनुमोदित एक प्रकार का मल उपचार संयंत्र; या

(ii) महानिदेशक द्वारा अनुमोदित एक मल संचार और कीटाणुशोधन प्रणाली; या

(iii) ऐसी क्षमता का एक नियंत्री टैंक ले जाने वाले व्यक्तियों की संख्या और जलयान के सेवा और यात्रा पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बोर्ड पर सृजित सभी मल को बनाए रखने के लिए पर्याप्त हो।

(ख) नियंत्री टैंक (टैंकों) के उपबंध पर महानिदेशक या अपनी ओर से कार्य करने वाले किसी मान्यता प्राप्त संगठन द्वारा मल उपचार संयंत्र के स्थान पर विचार किया जा सकता है, जहां अपतटीय या दूर के पत्तनों की जल यात्राएं केवल यदा कदा ही की जाती हैं, परंतु कि ऐसी यात्राओं की अवधि और ले जाए गए व्यक्तियों की कुल संख्या को ध्यान में रखते हुए नियंत्री टैंक (टैंकों) की क्षमता पर्याप्त हो।

(ग) जहां चार सौ से कम सकल टन भार का जलयान और पंद्रह व्यक्तियों या उससे कम को ले जाने के लिए प्रमाणित है, उपपैरा (5) के खंड (क) के अनुसार मल उठाई-धराई प्रणाली स्थापित नहीं है, जलयान -

(i) जब भी संभव हो तटवर्ती शौचालय सुविधाओं का उपयोग करें; और/या

(ii) सुवाह्य शौचालय का उपयोग करें ताकि पश्चात् में किनारे पर मलवहन या भूतल प्रणाली में खाली किया जा सके; या

(iii) किनारे की ग्रहण सुविधाओं के लिए पंप करने के लिए एक ऑन-बोर्ड नियंत्री टैंक में मल बनाए रखें।

5. उपचारित अपशिष्ट जल, या गिट्टी जल के टैंकों में स्लेटी जल का असधारण भंडारण –

(1) महानिदेशक उपचारित अपशिष्ट जल या स्लेटी जल के अस्थायी भंडारण के रूप में गिट्टी टैंकों के उपयोग की अनुज्ञा दे सकता है, जहां निम्नलिखित शर्तो के अध्यधीन रहते हुए इस नियम के अधीन अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए गिट्टी टैंकों में भंडारण करना आवश्यक हो सकेगा, अर्थात्:—

(i) गिट्टी टैंक को अस्थायी रूप से गिट्टी प्रणाली से अलग किया जाता है ताकि गिट्टी प्रणाली के माध्यम से कोई आकस्मिक निस्सारण निर्बंधित जल के भीतर न हो सके ;

(ii) उपचारित अपशिष्ट जल और/या स्लेटी जल के लिए, गिट्टी के लिए उपयोग करने के लिए वापस आने से पहले गिट्टी टैंक, पाइप और पंपों को पर्याप्त रूप से स्वक्षालन किया जाता है;

(iii) टैंक को गैस मुक्त सत्यापित किया जाता है यदि इसे उपचारित अपशिष्ट जल ले जाने के पश्चात् प्रवेश किया जाना है और विशेष रूप से, हाइड्रोजन सल्फाइड (एच**2**एस) गैस की उपस्थिति के लिए वातावरण का परीक्षण किया जाना चाहिए;

(iv) अस्थायी उपचारित अपशिष्ट जल या स्लेटी जल नियंत्री टैंक जलयान के परिसंकट क्षेत्रों में स्थित नहीं होना चाहिए;

(v) ऐसे उपचारित अपशिष्ट जल और स्लेटी जल को गिट्टी टैंक में अंतरित करने और छोडने के संबंध में यात्रा दैनिकी में प्रविष्टियां की जानी है;

(vi) पोत के प्राधिकारियों को पत्तन पर आगमन से पहले अस्थायी व्यवस्था के बारे में सूचित किया जाना चाहिए; और

ऐसे टैंक में भंडारित किए जा रहे उपचारित अपशिष्ट जल और स्लेटी जल को पत्तन या अपतटीय राज्य के नियमों और अपेक्षाओं के अनुसार छोड़ा जाना है या पत्तन की सीमा से परे छुट्टी दी जानी है, यघपि जल रास्ते में है और निकटतम भूमि से 12 समुद्री मील अधिक है।

(2) जहां उपचारित अपशिष्ट जल या स्लेटी जल को गिट्टी टैंक में भंडारित किया जाना है, वहां जलयान के स्वामी, मास्टर या व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि—

(क) टैंक किसी भी समय केवल एक प्रणाली से जुड़ा होगा;

(ख) ऐसे प्रणाली की व्यवस्था इस प्रकार की जानी है कि स्लेटी जल या उपचारित अपशिष्ट जल गिट्टी जल उपचार प्रणाली को संदूषित न कर सके;

(ग) उपयोग में परिवर्तन से पहले टैंक खाली हो जाएगा;

(घ) गिट्टी के लिए उपयोग करने के लिए वापस आने से पहले, स्लेटी जल या उपचारित अपशिष्ट जल को समाहित करने के पश्चात् टैंक को पर्याप्त रूप से स्वक्षालन किया जाएगा।

अनुसूची 2

प्ररूप -1

[(नियम 6 (1) देखें)]

.... द्वारा (अभिसमय के उपबंधों के अधीन अधिष्ठित सक्षम व्यक्ति या संगठन का पूरा नाम)
भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन, जलयानों से होने वाले प्रदूषण के निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1973 के उपबंधों के अधीन, जैसा कि उसमें संशोधित 1978 के प्रोटोकॉल द्वारा उपांतरित किया गया है (जिसे इसमें इसके पश्चात "अभिसमय" कहा गया है), जारी किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय मल प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र

पोत का विवरण[1]

पोत का नाम

....

पोत की सुस्पष्ट संख्या

....

रजिस्ट्री का पत्तन

....

सकल टनभार

....
.....

जलयान को जितने व्यक्तियों को ले जाने की अनुमति है, उनकी संख्या

....

[1] वैकल्पिक रूप से, पोत के विशेष विवरण को बॉक्स में क्षैतिज रूप से रखा जा सकता है।

आईएमओ नंबर[2]

नया/विद्यमान जलयान[3]

वह तारीख जब पोत की नींव रखी गई थी या जलयान निर्माण के समान चरण में था या, जहां लागू हो, वह तारीख जब किसी रूपांतरण या परिवर्तन या बड़े पैमाने पर संशोधन का कार्य शुरू किया गया था

....

विनियम 11.3 के लागू होने के लिए पोत का प्रकार

नया/विद्यमान यात्री पोत[4]

यात्री पोत के अतिरिक्त अन्य जलयान

यह प्रमाणित किया जाता है:

1. यह कि पोत अभिसमय के उपबंध 4 के विनियम 9 और 10 के अनुपालन में एक मल उपचार संयंत्र/कमिन्यूटर/होल्डिंग टैंक[5] और एक डिस्चार्ज पाइपलाइन से सुसज्जित है, जो निम्नलिखित है:

1.1 मल उपचार संयंत्र का विवरण:

मल उपचार संयंत्र का प्रकार .... निर्माता का नाम ....

मल उपचार संयंत्र को संकल्प एमईपीसी.2(6) में यथा उपबंधित प्रशासन द्वारा अपशिष्ट मानकों को पूरा करने के लिए प्रमाणित किया गया है।

संकल्प एमईपीसी.159(55)[2] में विनिर्दिष्ट मल उपचार संयंत्र को प्रशासन द्वारा अपशिष्ट मानकों को पूरा करने के लिए प्रमाणित किया गया है।

मल उपचार संयंत्र को संकल्प एमईपीसी.227(64) द्वारा यथा संशोधित, जिसमें इसके खंड 4.2 के मानक शामिल[6] हैं/नहीं हैं, द्वारा अंगीकृत मल उपचार संयंत्रों के लिए अपेक्षित मानकों के कार्यान्वयन और प्रदर्शन परीक्षण संबंधी दिशानिर्देशों के लिए यथा उपबंधित अपशिष्ट मानकों को पूरा करने के लिए प्रशासन द्वारा प्रमाणित किया गया है।

----

[2] संकल्प सं. 6009151 के संगठन द्वारा माध्यम से अंगीकृत की गई आईएमओ पोत पहचान संख्या स्कीम के प्रति निर्देश।

[3] उचित रूप से लोप करें।

[4] उचित रूप से लोप करें।

[5] उचित रूप से लोप करें।

[6] उचित रूप से लोप करें।

1.2 कमिन्यूटर का विवरण:

.... कमिन्यूटर का प्रकार

.... उत्पादक का नाम

.... क्लोरीनेशन पश्चात मल का मानक

1.3 भंडारण टैंक का विवरण:

टैंक धारण करने की कुल क्षमता .... घन मीटर

स्थान ....

1.4 मल के निर्वहन के लिए एक रिसेप्शन सुविधा हेतु एक पाइपलाइन, जो एक मानक किनारे कनेक्शन से सुसज्जित है।

2. जलयान का सर्वेक्षण अभिसमय के उपबंध 4 के विनियम 4 के अनुसार किया गया है।

3. सर्वेक्षण से पता चलता है कि पोत की संरचना, उपकरण, प्रणालियाँ, फिटिंग, व्यवस्थाएँ और सामग्री तथा उसकी स्थिति सभी दृष्टियों से संतोषजनक है तथा पोत अभिसमय के उपबंध 4 की लागू आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।

यह प्रमाणपत्र अभिसमय के उपबंध 4 के विनियम 4 के अनुसार .... सर्वेक्षण के अधीन होने तक वैध है।

सर्वेक्षण की समाप्ति तारीख जिस पर यह प्रमाणपत्र ....आधारित है
.... तारीख
/माह/वर्ष
पर जारी किया गया

(प्रमाणपत्र जारी करने का स्थान)

....

....

(जारी करने की तारीख) (प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

---

7 समाप्ति तारीख, जैसा कि प्रशासन द्वारा अभिसमय के उपबंध 4 के विनियम 8.1 के अनुसार निर्दिष्ट किया गया है। इस तारीख या दिन और महीने अभिसमय के उपबंध 4 के विनियम 1.8 में परिभाषित "वार्षिक तारीख" के अनुरूप हैं।

(प्राधिकरण की मुहर या स्टाम्प, जैसा उपयुक्त हो)

जहाँ विनियम 8.3 लागू होता है या यदि वैधता अवधि 5 वर्षों से कम है, वैध होने पर प्रमाणपत्र का विस्तार करने का पृष्ठांकन

यह पोत अभिसमय के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करता है, और यह प्रमाणपत्र अभिसमय के उपबंध 4 के विनियम 8.3 के अनुसार (तारीख/माह/वर्ष) तक वैध माना जाएगा।

हस्ताक्षरित: ....
(अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
स्थान: ....
तारीख (तारीख/माह/वर्ष): ....

(प्राधिकरण की मुहर या स्टाम्प, जैसा उपयुक्त हो)

अनुमोदन जहाँ नवीकरण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और नियम 8.4 लागू होता है

यह प्रमाणपत्र अभिसमय के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करता है, और यह प्रमाणपत्र अभिसमय के परिशिष्ट 4 के विनियम 8.4 के अनुसार (तारीख/माह/वर्ष) तक वैध माना जाएगा।

हस्ताक्षरित: ....

(अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
स्थान: ....
तारीख (तारीख/माह/वर्ष): ....

(प्राधिकरण की मुहर या स्टाम्प, जैसा उपयुक्त हो)

प्रमाणपत्र की वैधता सर्वेक्षण के केंद्रबिंदु तक पहुँचने तक या एक की अवधि तक बढ़ाने के लिए पृष्ठांकन जहाँ विनियम 8.5 या 8.6 लागू होता है।

यह प्रमाणपत्र, अभिसमय के उपाबंध 4 के नियम 8.5 या 8.6 के अनुसार (तारीख/माह/वर्ष) तक वैध माना जाएगा।

हस्ताक्षरित: ....
(अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
स्थान: ....
तारीख (तारीख/माह/वर्ष): ....

(प्राधिकरण की मुहर या स्टाम्प, जैसा उपयुक्त हो)

प्ररूप – 2
[(नियम 6 (3) देखें)]

....
.... द्वारा (पोत के उपबंधों के अधीन अधिष्ठित सक्षम व्यक्ति या संगठन का पूरा नाम)
भारत सरकार के प्राधिकार के अधीन वाणिज्य पोत परिवहन (जलयानों से निकासित होने वाले मल द्वारा प्रदूषण निवारण) नियम, 2026 के उपबंधों के अंतर्गत तथा पोत से प्रदूषण के निवारण के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, 1973 के उपबंध 4 के उपबंधों के संबंध में, जैसा कि इसमें संबंधित 1978 के प्रोटोकॉल द्वारा संशोधित किया गया है (जिसे इसमें इसके पश्चात "अभिसमय" कहा गया है) जारी किया गया।

भारतीय मल प्रदूषण निवारण प्रमाणपत्र

जलयान का विवरण[8]

जलयान का नाम

....

पत्रों की सुस्पष्ट संख्या

....

....

रजिस्ट्री का पत्तन

....

सकल टनभार

....

[8] वैकल्पिक रूप से, जलयान का विवरण बॉक्स में सीलित रूप से भी रखा जा सकता है।

....

जलयान को जितने व्यक्तियों को ले जाने की अनुमति है, उनकी संख्या

....

....

आईएमओ नंबर[9]

नया/विद्यमान जलयान[10]

वह तारीख जब जलयान की नींव रखी गई थी या जलयान निर्माण के समान चरण में था या, जहां लागू हो, वह तारीख जब किसी रूपांतरण या परिवर्तन या बड़े पैमाने पर संशोधन का कार्य शुरू किया गया था...

अनुसूची 1 के पैरा 3 के उप-पैरा (3) के आवेदन के लिए जलयान का प्रकार

नया/विद्यमान यात्री जलयान[11]

यात्री जलयान के अतिरिक्त अन्य पोत

यह प्रमाणित किया जाता है कि:

1. यह कि जलयान इन नियमों की अनुसूची-1 के पैरा 1 और 2 के अनुपालन में एक सीवेज उपचार संयंत्र/कमिन्यूटर/होल्डिंग टैंक और एक डिस्चार्ज पाइपलाइन से सुसज्जित है; जो निम्नानुसार है:

1.1 मल उपचार संयंत्र का विवरण:

.... विनिर्माता का नाम

.... मल उपचार संयंत्र का प्रकार

संकल्प एमईपीसी.2(6) में यथाविहित मल उपचार संयंत्र को प्रशासन द्वारा अपेक्षित मानकों को पूरा करने के लिए प्रमाणित किया गया है।

संकल्प एमईपीसी.159(55)² में विहित मल उपचार संयंत्र को प्रशासन द्वारा अपेक्षित मानकों को पूरा करने के लिए प्रमाणित किया गया है।

[9] संगठन द्वारा संकल्प सं. 600915 द्वारा अंगीकृत आईएमओ जलयान पहचान संख्या स्कीम का संदर्भ लें।

[10] उचित रूप से लोप करें।

[11] उचित रूप से लोप करें।

मल उपचार संयंत्र को संकल्प एमईपीसी.227(64) द्वारा यथा संशोधित जिसमें इसके खंड 4.2 के मानक शामिल हैं/नहीं हैं तथा अंगीकृत मल उपचार संयंत्रों के लिए अपशिष्ट मानकों के कार्यान्वयन और प्रदर्शन परीक्षण संबंधी दिशानिर्देशों के लिए यथा उपबंधित अपशिष्ट मानकों को पूरा करने के लिए प्रशासन द्वारा प्रमाणित किया गया है।

1.2 कमिन्यूटर का विवरण:

.... कमिन्यूटर का प्रकार

.... उत्पादक का नाम

.... क्लोरीनेशन पश्चात मल का मानक

1.3 भंडारण टैंक का विवरण:

टैंक धारण करने की कुल क्षमता .... घन मीटर

स्थान ....

1.4 मल को रिसेप्शन सुविधा तक पहुँचाने के लिए एक पाइपलाइन, जिसमें मानक तट कनेक्शन लगा हो।

2. जलयान का सर्वेक्षण अभिसमय के नियम 5 के अनुसार किया गया है।

3. सर्वेक्षण से पता चलता है कि जलयान की संरचना, उपकरण, व्यवस्था, फिटिंग, व्यवस्था और सामग्री और उसकी स्थिति सभी तरह से संतोषजनक है और जलयान इन नियमों की लागू आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।

यह प्रमाणपत्र अभिसमय के नियम 5 के अनुसार—.. .... सर्वेक्षण के अधीन होने तक[13] वैध है।

सर्वेक्षण की समाप्ति तारीख जिस पर यह प्रमाणपत्र..

आधारित.. तारीख/माह/वर्ष

---

[12] उचित रूप से लोप करें।

[13] विनियम 10 के पैरा (1) के अनुसार प्रशासन द्वारा निर्दिष्ट समाप्ति तारीख। इस तारीख का दिन और महीना नियम 2 के विनियम उप-पैरा (ख) पैरा (1) में परिभाषित "वार्षिक तारीख" के अनुरूप होगा।

जारी किया गया

.... (प्रमाणपत्र जारी करने का स्थान)

....

(जारी करने की तारीख) (प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

(प्राधिकरण की मुहर या स्टाम्प, जैसा उपयुक्त हो)

यदि नियम 9 का उपनियम (4) लागू होता है, तो प्रमाणपत्र को 5 वर्ष से कम समय के लिए वैध होने पर विस्तारित करने का पृष्ठांकन

यह जलयान अभिसमय के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करता है, और यह प्रमाणपत्र अभिसमय के उपबंध 4 के विनियम 8.3 के अनुसार (तारीख/माह/वर्ष) तक वैध माना जाएगा।

हस्ताक्षरित: ....
(अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
स्थान: ....
तारीख (तारीख/माह/वर्ष): ....

(प्राधिकरण की मुहर या स्टाम्प, जैसा उपयुक्त हो)

जहां नवीकरण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और नियम 9 का उपनियम (5) लागू होता है, वहां पृष्ठांकन

यह जलयान अभिसमय के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करता है, और नियम 9 के उप-नियम (5) के अनुसार, यह प्रमाणपत्र .... (तारीख/माह/वर्ष) तक वैध माना जाएगा।

हस्ताक्षरित: ....
(अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)
स्थान: ....
तारीख (दिन/माह/वर्ष): ....

(प्राधिकरण की मुहर या स्टाम्प, जैसा उपयुक्त हो)

सर्वेक्षण के बंदरगाह तक पहुँचने तक या नियम 9 के उप-नियम (6) या (7) लागू होने पर नियत अवधि के लिए प्रमाणपत्र की वैधता बढ़ाने का समर्थन

यह जलयान अभिसमय के सुसंगत उपबंधों का अनुपालन करता है, और नियम 9 के उप-नियम (6) या (7) के अनुसार, यह प्रमाणपत्र .... (तारीख/माह/वर्ष) तक वैध माना जाएगा:

हस्ताक्षर ....

(अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर)

स्थान: ....

तारीख (दिन/माह/वर्ष): ....

(प्राधिकरण की मुहर या स्टाम्प, जैसा उपयुक्त हो)

*उचित रूप से लोप करें।

प्ररूप 3

यूएनएसपी नौकाओं के लिए छूट प्रमाण पत्र का प्रपत्र

[नियम 8 देखें]

.... द्वारा (अभिसमय के उपबंधों के अधीन अधिकृत सक्षम व्यक्ति या संगठन का पूरा नाम)

.... (देश का पूरा नाम)

सरकार के अधिकार के अधीन अंतर्राष्ट्रीय पोत प्रदूषण निवारण अभिसमय, 1973 के उपबंधों के अधीन, जैसा कि 1978 के प्रोटोकॉल द्वारा संशोधित किया गया है (जिसे इसमें इसके पश्चात "अभिसमय" कहा गया है), की जारी किया गया:

मानवरहित गैर-स्वचालित (यूएनएसपी) नौकाओं के लिए

अंतर्राष्ट्रीय मल प्रदूषण निवारण छूट प्रमाणपत्र

पोत का विवरण[14]

जलयान का नाम ....

सुस्पष्ट संख्या या पत्र ....

रजिस्ट्री का पत्तन ....

सकल टनभार ....

यह प्रमाणित किया जाता है:

1. मानवरहित गैर-स्वचालित (यूएनएसपी) नौका का सर्वेक्षण अभिसमय के उपबंध 4 के विनियम 3.2 के अनुसार किया गया है;

2. सर्वेक्षण से पता चलता है कि मानवरहित गैर-स्वचालित (यूएनएसपी) नौका:

----

[14] वैकल्पिक रूप से, जलयान का विवरण बॉक्स में क्षैतिज रूप से रखा जा सकता है।

1. यांत्रिक साधनों द्वारा संचालित नहीं होता;

2. इसमें न तो कोई व्यक्ति है और न ही कोई जीवित जानवर सवार है;

3. इसका उपयोग परिचालन के दौरान मल-मूत्र को रोकने के लिए नहीं किया जाता है; और

4. इसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे अभिसमय के परिशिष्ट 4 के विनियम 1.3 में परिभाषित अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न हो सके, और

3. यह कि यूएनएसपी प्रकार को अभिसमय के उपबंध 4 के विनियम 3.2 के अधीन और अभिसमय के उपबंध 4 के विनियम 4.1 और 5.1 के प्रमाणन और संबंधित सर्वेक्षण आवश्यकताओं से छूट दी गई है।

छूट की शर्तों के अधीन यह प्रमाणपत्र .... (दिन/माह/वर्ष) तक वैध है, रख रखाव किया जाता है।

जिस सर्वेक्षण के आधार पर यह प्रमाणपत्र जारी किया गया है, उसके पूरा होने की ....
(दिन/माह/वर्ष)
तारीख पर जारी किया

(प्रमाणपत्र जारी करने का स्थान)

....

....

(जारी करने की तारीख)

(दिन/माह/वर्ष)

....

(सम्यक् रूप से अधिप्रेषित व्यक्ति के हस्ताक्षर)
प्रमाणपत्र जारी करने वाला अधिकारी

(प्राधिकरण की मुहर या स्टाम्प, जैसा उपयुक्त हो)

[फा. सं. एस.वाई-19014/198/2025-एम.जी]

मुकेश मंगल, अपर सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING AND WATERWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2026

G.S.R. 588(E).—In exercise of the powers conferred by section 131, sub-section (2), sub-section (4) and sub-section (5) of section 133, section 134, sub-section (2) of section 135, sub-section (1) of section 142 read with section 143 of the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025), and in supersession of the Merchant Shipping (Prevention of Pollution by Sewage from Ships) Rules, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

CHAPTER I

PRELIMINARY

1. **Short title and commencement. –** (1) These rules may be called the Merchant Shipping (Prevention of Pollution by Sewage from Vessels) Rules, 2026.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.** – (1) In these rules, unless the context otherwise requires -

   (a) "Act" means the Merchant Shipping Act, 2025 (24 of 2025);

   (b) "administration" means the Director-General for Indian vessels and with respect to a vessel entitled to fly a flag of another State means the Government of that State;

   (c) "Annex" means Annex IV to the International Convention for the Prevention of Pollution from

Ships, 1973 including its Protocol of 1978;

(d) "anniversary date" means the day and the month of each year which corresponds to the date of expiry of the certificate;

(e) "certificate" means an International Sewage Pollution Prevention Certificate or an Indian Sewage Pollution Prevention Certificate or International Sewage Pollution Prevention Exemption Certificate for Unmanned Non-Self-Propelled (UNSP) Barges, as the case may be;

(f) "convention" means the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 including its Protocol of 1978, as amended from time to time;

(g) "existing passenger vessel" is a passenger vessel which is not a new passenger vessel;

(h) "existing vessel" means a vessel which is not a new vessel;

(i) "form" means forms appended to these rules;

(j) 'from the nearest land' means from the baseline from which the territorial sea of the territory in question is established in accordance with international law except that, for the purposes of the present convention "from the nearest land" off the north eastern coast of Australia shall mean from a line drawn from a point on the coast of Australia in:

latitude 11°00' S, longitude 142°08' E

to a point in latitude 10°35' S, longitude 141°55' E

thence to a point latitude 10°00' S, longitude 142°00' E

thence to a point latitude 9°10' S, longitude 143°52' E

thence to a point latitude 9°00' S, longitude 144°30' E

thence to a point latitude 10°41' S, longitude 145°00' E

thence to a point latitude 13°00' S, longitude 145°00' E

thence to a point latitude 15°00' S, longitude 146°00' E

thence to a point latitude 17°30' S, longitude 147°00' E

thence to a point latitude 21°00' S, longitude 152°55' E

thence to a point latitude 24°30' S, longitude 154°00' E

thence to a point on the coast of Australia in latitude 24°42' S, longitude 153°15' E;

(k) "grey water" means drainage from dishwater, galley sink, shower, laundry, bath and washbasin drains, which is not considered sewage unless mixed with drainage from toilets, urinals, hospitals, and animal spaces;

(l) "holding tank" means a tank used for the collection and storage of sewage;

(m) "new passenger vessel" means a passenger vessel–

(i) for which the building contract is placed or, in the absence of a building contract, the keel of which is laid, or which is in a similar stage of construction, on or after the 1st June, 2019; or

(ii) the delivery of which is made after the 1st June, 2021;

(n) "new vessel" means a vessel –

(i) for which the building contract is placed, or in the absence of a building contract, the keel of which is laid, or which is at a similar stage of construction, on or after the 27th September, 2003; or

(ii) the delivery of which is three years or more after the 27th September, 2003;

(o) "organisation" means the International Maritime Organization;

(p) "person" includes the member of the crew and the passenger;

(q) "Polar Code" means the International Code for Ships Operating in Polar Waters, consisting of an introduction, part I-A and part II-A and parts I-B and II-B, as adopted by resolutions MSC.385(94) and MEPC.264(68), as may be amended;

provided that:

(i) amendments to the environment-related provisions of the introduction and chapter 4 of part II-A of the Polar Code are adopted, brought into force and take effect in accordance with the provisions of article 16 of the convention concerning the amendment procedures applicable to an appendix to an annex of the convention; and

(ii) amendments to part II-B of the Polar Code are adopted by the Marine Environment Protection Committee in accordance with its Rules of Procedure.

(r) "Polar waters" means Arctic waters and/or the Antarctic area.

Explanation – For the purpose of this clause –

(i) "Antarctic area" means the sea area south of latitude 60º S.

(ii) "Arctic waters" means those waters which are located north of a line from the latitude 58º00΄.0 N and longitude 042º00΄.0 W to latitude 64º37΄.0 N, longitude 035º27΄.0 W and thence by a rhumb line to latitude 67º03΄.9 N, longitude 026º33΄.4 W and thence by a rhumb line to the latitude 70º49΄.56 N and longitude 008º59΄.61 W (Sørkapp, Jan Mayen) and by the southern shore of Jan Mayen to 73º31'.6 N and 019º01'.0 E by the Island of Bjørnøya, and thence by a great circle line to the latitude 68º38΄.29 N and longitude 043º23΄.08 E (Cap Kanin Nos) and hence by the northern shore of the Asian Continent eastward to the Bering Strait and thence from the Bering Strait westward to latitude 60º N as far as Il'pyrskiy and following the 60th North parallel eastward as far as and including Etolin Strait and thence by the northern shore of the North American continent as far south as latitude 60º N and thence eastward along parallel of latitude 60º N, to longitude 056º37΄.1 W and thence to the latitude 58º00΄.0 N, longitude 042º00΄.0 W;

(s) "Schedule" means the Schedule annexed to these rules containing the requirements of Annex IV of International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 including its Protocol of 1978, as amended from time to time;

(t) "sewage" means–

(i) drainage and other wastes from any form of toilets and urinals;

(ii) drainage from medical premises (dispensary, sick bay etc) via wash basins, wash tubs and scuppers located in such premises;

(iii) drainage from spaces containing living animals; or

(iv) other waste waters when mixed with the drainages defined above;

(u) "special area" means a sea area where for recognized technical reasons in relation to its oceanographical and ecological condition and to the particular character of its traffic the adoption of special mandatory methods for the prevention of sea pollution by sewage is required.

The special areas are:

(i) the Baltic Sea area as defined in regulation 1.11.2 of Annex I of International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973 including its Protocol of 1978; and

(ii) any other sea area designated by the organization in accordance with criteria and procedures for designation of special areas with respect to prevention of pollution by sewage from vessels;

(v) "treated wastewater" is the treated liquid effluent discharged from the sewage treatment plant; and

(w) "unmanned non-self-propelled barge" means a barge that-

(i) is not propelled by mechanical means;

(ii) has neither persons nor living animals on board;

(iii) is not used for holding sewage during transport; and

(iv) has no arrangements that could produce sewage.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Application. – (1) Unless otherwise provided, the provisions of these rules shall apply to the following

vessels, -

(a) new vessels of four hundred gross tonnage and above;

(b) new vessels of less than four hundred gross tonnage which are certified to carry more than fifteen persons;

(c) existing vessels of four hundred gross tonnage and above, five years after the date of 27th September, 2003;

(d) existing vessels of less than four hundred gross tonnage which are certified to carry more than fifteen persons, five years after the date of 27th September, 2003.

(2) Subject to the provisions of sub-rule (1), vessels of gross tonnage less than four hundred and certified to carry fifteen persons or fewer, when operating within coastal waters, shall comply with the additional requirements specified in sub-paragraph (5) of paragraph 4 of the Schedule I.

(3) The Director-General shall ensure that existing vessels, specified under clauses (c) and (d) of sub-rule (1), the keels of which are laid or which are at a similar stage of construction before 2nd October, 1983, shall be so equipped as to discharge of sewage in accordance with the requirements of paragraph 3 of the Schedule I.

(4) The vessels to which these rules apply shall comply with the requirements given in the Schedule to these rules.

4. **Exceptions and exemptions.–** (1) The provisions of paragraph 3 of the Schedule I and Section 4.2 of Chapter 4 of the Part II-A of the Polar Code shall not apply to-

(i) the discharge of sewage from a vessel is necessary for the purpose of securing the safety of the vessel and those on board, or for saving life at sea; or

(ii) the discharge of sewage results from damage to the vessel or its equipment if all reasonable precautions have been taken before and after the occurrence of such damage for the purpose of preventing or minimising the discharge.

(2) The Director-General may exempt an unmanned non-self-propelled barge from the requirements of sub-rule (1) of rule 5 and sub-rule (1) of rule 6, by an International Sewage Pollution Prevention Exemption Certificate, for a period not exceeding five years, provided that such barge has undergone a survey in accordance with the provisions of these rules.

CHAPTER II

SURVEY and CERTIFICATION

5. **Survey**. – (1) Every vessel specified under sub-rule (1) of rule 3 shall be subject to the following survey, namely:-

(a) an initial survey shall be conducted before the vessel is put in service or before the certificate is issued for the first time and such initial survey shall include a complete survey of its structure, equipment, systems, fittings, arrangements and material so as to ensure that they fully comply with the requirements of these rules;

(b) a renewal survey shall be conducted at an interval not exceeding five years except where the provisions of sub-rules (3), (6), (7) and (8) of rule 9 are applicable and the renewal survey shall be such as to ensure that the structure, equipment, systems, fittings, arrangements and materials fully comply with the requirements of these rules; and

(c) an additional survey, either general or partial, according to the circumstances, shall be conducted after a repair is required, or whenever important repairs or renewals are made and such survey shall ensure that necessary repairs or renewals have been effectively made and that the material and workmanship of such repairs or renewals are in all respect satisfactory and the vessel complies with the requirements of these rules in all respect.

(2) The Director-General shall specify appropriate measures for vessels which are not subject to the provisions of sub-rule (1) in such manner that the provisions of these rules are complied with.

(3) The survey of vessels for the purposes of enforcement of the provisions of these rules shall be carried out by a surveyor or the authorized person, as the case may be.

(4) The Director-General shall-

(a) subject to such conditions as it deems fit, empower the surveyor or, the authorised person, as the case may

be, referred to in sub-rule (3), to require repairs to a vessel and to carry out survey on the request of appropriate authorities of another State; and

(b) notify the organisation of the specific responsibilities and conditions of authority so given to the surveyor or the authorized person, for circulation to other States, for the information of their officers.

(5) When the surveyor or the authorised person, as the case may be, determines that the condition of the vessel or its equipment does not correspond substantially with the particulars of the certificate or is such that, the vessel is not fit to proceed to sea without presenting an unreasonable threat of harm to the marine environment, such surveyor or authorised person shall immediately ensure that corrective action is taken and shall also, in due course, report the same to the Director-General:

Provided that where such corrective action is not taken, the certificate shall be withdrawn and the Director-General shall be reported of it immediately:

Provided further that if the vessel is in a port of another state, the appropriate authorities of that port state shall be reported immediately.

(6) The administration shall, in every case, fully guarantee the completeness and efficiency of such survey and undertake to ensure necessary arrangements to satisfy such obligation.

(7) The condition of the vessel and its equipment shall be maintained in such manner as to conform to the provisions of the convention so that the vessel shall remain, in all respects, fit to proceed to sea without presenting any unreasonable threat of harm to the marine environment.

(8) After such survey of the vessel under sub-rule (1) has been completed, no change shall be made in the structure, equipment, systems, fittings, arrangements or material covered by such survey without the sanction of the Director-General, except any direct replacement of such equipment and fittings.

(9) Whenever an accident occurs to a vessel or a defect is discovered which substantially affects the integrity of the vessel or the efficiency or completeness of its equipment as required by these rules, the master or owner of the vessel shall report at the earliest opportunity to the Director-General, who shall cause investigation to be initiated by the surveyor or the authorised person to determine whether a survey as required by sub-rule (1) is necessary:

Provided that if the vessel is in the port of another State party; the master or owner shall also report immediately to the administration of the state concerned and shall cause the surveyor or the authorised person of that administration to ascertain such defect.

6. Issue or endorsement of certificate. – (1) After an initial survey or renewal survey, as the case may be, in accordance with the provisions of rule 5, an International Sewage Pollution Prevention Certificate or exemption certificate for unmanned non-self-propelled barges shall be issued to any vessel which is engaged in voyages to ports or offshore terminals under the jurisdiction of other state parties to the convention and in the case of existing vessels, such requirement shall apply for five years after the 27^{th} September, 2003.

(2) The certificates referred to in sub-rule (1) shall be issued or endorsed by the Director-General and in every case, it shall assume full responsibility for such certificate.

(3) The Director-General shall issue an Indian Sewage Pollution Prevention Certificate to any vessel, whether above or below 400 gross tonnage, which is engaged in voyages to ports or offshore terminals in coastal waters.

(4) Indian River Sea Vessels, Indian River Sea Passenger Vessels and Indian Coastal Vessels shall be surveyed and certified in accordance with the respective laws applicable to such vessels, in so far as those laws implement or supplement the requirements of Annex IV of the convention and these rules.

7. Issue or endorsement of a certificate at the request of another administration. – (1) The Director-General may, on the request of the administration of a foreign vessel, cause a vessel to be surveyed and if satisfied that the provisions of the convention are complied with, issue or authorise the issue of a certificate to that vessel and where appropriate, endorse or authorise the endorsement of that certificate on the vessel in accordance with these rules.

(2) A certificate so issued under sub-rule (1) shall contain a statement to the effect that it has been issued at the request of the administration concerned and it shall have the same force and receive the same recognition as the certificate issued under the provisions of the Annex.

(3) A copy of the certificate and a copy of the survey report shall be transmitted to the administration concerned.

(4) No certificate shall be issued to a vessel which is entitled to fly the flag of a state, which is not a party.

8. Issue of exemption certificate for unmanned non-self-propelled barges. – (1) The owner or operator of a vessel shall apply to the Director-General, enclosing the General Arrangement Plan, Capacity Plan and such other plans or information as may be required.

(2) The Director-General shall-

(a) review the submitted plans and information to verify compliance; and

(b) carry out a survey of the barge to confirm that the actual arrangements on board correspond to unmanned non-self-propelled barges.

(3) Where the Director-General is satisfied that the conditions of sub-rule (2) are complied with, it shall issue an International Sewage Pollution Prevention Exemption Certificate for Unmanned Non-Self-Propelled Barges.

(4) The exemption granted under this rule shall cease to have effect, and the exemption certificate shall be withdrawn or cancelled, where –

(a) the barge is operated in a manner that does not comply with the conditions of unmanned non-self-propelled barges ; or

(b) any arrangements are fitted or used which could generate sewage, unless the barge is thereafter surveyed and certificated in accordance with these rules.

(5) No such certificate shall be issued to a vessel or barge entitled to fly the flag of a State which is not a party to the convention.

9. Certificate. – (1) The certificates under these rules shall be issued in the forms appended to these rules.

(2) The certificate issued shall be valid for a maximum period of five years.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), when the renewal survey is completed-

(a) within three months before the expiry date of the existing certificate, the new certificate issued shall be valid from the date of completion of such renewal survey for a period of five years from the date of expiry of the existing certificate;

(b) after the expiry date of the existing certificate, the new certificate issued shall be valid from the date of completion of such renewal survey for a period of five years from the date of expiry of the existing certificate; and

(c) more than three months before the expiry date of the existing certificate, the new certificate issued shall be valid from the date of completion of the renewal survey for a period of five years from the date of completion of such renewal survey.

(4) If a certificate is issued for a period of less than five years, the Director-General may extend the validity of the certificate beyond the expiry date to the maximum period specified in sub-rule (2).

(5) If a renewal survey has been completed and a new certificate cannot be issued or placed on board the vessel before the expiry date of the existing certificate, the Director-General may endorse the existing certificate and such certificate shall be accepted as valid for a further period of five months from the expiry date.

(6) If, at a time when the certificate expires, a vessel is not in the port in which it is to be surveyed, or in such other cases as it deems proper and reasonable so to do, the Director-General may, extend the period of validity of the certificate:

Provided that such extension shall be granted only for the purpose of allowing the vessel to complete its voyage to the port in which it is to be surveyed:

Provided further that such extension shall not be granted for a period longer than three months:

Provided also that a vessel to which an extension is granted shall not, on its arrival in the port in which it is to be surveyed, be entitled to leave that port without having a new certificate and such new certificate issued after the renewal survey is completed, shall be valid for a period of five years from the date of expiry of the existing certificate before the extension was granted.

(7) Where a certificate issued to a vessel engaged on short voyages has not been extended under the provisions of this rule, the Director-General may extend the period of grace up to one month from the date of its expiry and the new certificate issued after the renewal survey is completed shall be valid for a period of five years from the date of expiry of the existing certificate before the extension was granted.

(8) Under such special circumstances as may be determined by the Director-General, the new certificate shall be issued for a period of five years from the date of completion of the renewal survey and not from the date of expiry of the existing certificate as provided in clause (b) of sub-rule (3), sub-rule (6) and sub-rule (7) and in

these circumstances, the new certificate shall be valid to a date not exceeding five years from the date of completion of the renewal survey.

(9) A certificate issued under rule 6, rule 7 and rule 8 shall cease to be valid in the following cases, namely: —

(a) where the relevant surveys are not completed within the period specified under sub-rule (1) of rule 5; or

(b) upon a transfer of the vessel to the flag of another state party.

(10) In case of a transfer from India to another state, if a request is made by the administration concerned within three months after such transfer has taken place, the Director-General shall, as soon as possible, transmit to that administration copies of the certificate carried by the vessel before such transfer and copies of survey reports, if available.

(11) In case of a transfer of a vessel from the flag of another State, the Director-General shall issue a new Certificate to such a vessel only if it is fully satisfied that the vessel is in compliance with the requirements of sub-rules (7) and (8) of rule 5.

CHAPTER III

MISCELLANEOUS

10. Reception facilities. – (1) The Director-General shall ensure the provision of adequate facilities at ports and terminals for the reception of sewage without causing undue delay to vessels in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 142 of the Act.

(2) The Director-General shall notify the organisation, for transmission to the contracting governments concerned, of all cases where the facilities provided under Regulation 12 of Annex IV are alleged to be inadequate.

(3) The Central Government shall undertake to ensure that,-

(a) facilities for the reception of sewage are provided in ports and terminals which are in a special area and which are used by passenger vessels;

(b) the facilities are adequate to meet the needs of those passenger vessels; and

(c) the facilities are operated so as not to cause undue delay to those passenger vessels.

(4) The Central Government shall notify the organisation of the measures undertaken pursuant to sub-rule (3) and until the organisation establishes the date from which the requirements of clause (c) of sub-rule (3) shall take effect under Regulation 13.2 of the Annex IV, every vessel, while navigating in the special area shall comply with the requirements of clause (c) of sub-rule (3).

11. Polar waters. – The vessels certified in accordance with these rules operating in polar waters shall comply with the environment-related provisions of the introduction and with Chapter 4 of part II-A of the Polar Code, in addition to any other applicable requirements of these rules.

12. Control on operational requirements. – (1) A vessel when in a port or an offshore terminal in India is subject to inspection by surveyor or an authorises person concerning operational requirements under these rules, where there are clear grounds for believing that the master or crew are not familiar with essential shipboard procedures relating to the prevention of pollution by sewage.

(2) In the circumstances given in sub-rule (1), the surveyor or authorised person shall take such steps which will ensure that the vessel shall not sail until the situation has been brought to order in accordance with the requirements of these rules.

(3) Nothing in this rule shall be construed to limit the rights and obligations of the Central Government carrying out control over operational requirements specifically provided for in the Act or rules made thereunder or convention.

13. Penalties and enforcement. – (1) Any contravention of these rules or failure to comply with any requirement thereof shall be liable to penalties as specified in the Act.

(2) Any person who operates any vessel in contravention of the provisions of these rules, and for which no specific penalty is provided under sub-section (2) of section 281 of the Act, shall be liable to penalty which may extend to fifty thousand rupees, and if the breach is a continuing one, with further penalty which may extend to five thousand rupees for every day after the first day during which the breach continues.

(3) The imposition of any penalty under this rule shall not absolve the owner or master from the requirement of rectifying the non-compliance.

SCHEDULE I

[*See* rules 3 and 4]

EQUIPMENT AND CONTROL OF DISCHARGE

1. **Sewage systems.** – (1) Every vessel specified in rule 3 which is under obligation to comply with the provisions of these rules shall be equipped with one of the following sewage systems, namely: -

(a) a sewage treatment plant of a type approved by the Director-General, having regard to the standards and test methods developed by the organisation under MEPC.2 (VI), Resolutions MEPC.159(55) and MEPC.227(64), as amended by MEPC.284(70), or any subsequent resolutions adopted by the organisation; or

(b) a sewage comminuting and disinfecting system, approved by the Director-General:

Provided that such system shall be fitted with such facilities to the satisfaction of the Director-General for temporary storage of sewage when the vessel is less than three nautical miles from the nearest land; or

(c) a holding tank of such capacity as may be specified by the Director-General, for the retention of all sewage, having regard to the operation of the vessel, the number of persons on board and other relevant factors:

Provided that such holding tank shall be constructed in such manner as may be specified by the Director-General and shall have means to indicate visually and/or digitally the amount of its contents.

(2) The arrangements for vessels of gross tonnage less than four hundred and certified to carry fifteen persons or fewer shall be in accordance with paragraph 4 of this Schedule.

(3) By derogation from sub-paragraph (1), every passenger vessel which is required to comply with rule 3, and for which sub-paragraph (3) of paragraph 3 of this Schedule applies, shall be equipped with one of the following sewage systems, namely :—

(a) a sewage treatment plant which shall be of a type approved by the Director-General, taking into account the standards and test methods developed by the organisation, or

(b) a holding tank of the capacity to the satisfaction of the Director-General for the retention of all sewage, having regard to the operation of the vessel, the number of persons on board and other relevant factors:

Provided that such holding tank shall be constructed in such manner as may be specified by the Director-General and shall have means to indicate visually and/or digitally the amount of its contents.

2. **Standard discharge connections.** – (1) To enable pipes of reception facilities to be connected with the vessel's discharge pipelines, both lines shall be fitted with a standard discharge connection, in accordance with the following table, namely:-

Table

Standard dimensions of flanges for discharge connections	
Description	**Dimension**
Outside diameter	210mm
Inner diameter	According to pipe outside diameter
Bolt circle diameter	170mm
Slots in flange	4 holes, 18 mm in diameter, equidistantly placed on a bolt circle of the above diameter, slotted to the flange periphery with the slot width of 18 mm
Flange thickness	16 mm
Bolts and nuts; quantity and diameter	4, each of 16 mm in diameter and of suitable length
The flange is designed to accept pipes up to a maximum internal diameter of 100mm and shall be of steel or other equivalent material having a flat face and this flange, together with a suitable gasket, shall be suitable for a service pressure of 600kpa: For vessels having a moulded depth of 5m and less, the inner diameter of the discharge connection may be 38mm.	

(2) For vessels in dedicated trades, i.e., passenger ferries, its discharge pipeline may, alternatively, be fitted with a discharge connection such as quick connection couplings, with the approval of the Director-General.

3. **Discharge of sewage.** – (1) Subject to the provisions of rule 4, the discharge of sewage into the sea is prohibited, except when-

(a) the vessel is discharging treated wastewater using a system approved by the Director-General in accordance with clause (b) of sub-paragraph (1) of paragraph 1 of this Schedule at a distance of more than 3 nautical miles from the nearest land, or untreated sewage at a distance of more than 12 nautical miles from the nearest land, provided that, in any case, the sewage that has been stored in holding tanks, or sewage originating from spaces containing living animals, shall not be discharged instantaneously but at a moderate rate when the vessel is en route and proceeding at not less than 4 knots; the rate of discharge shall be approved by the Director-General, on the basis of standards developed by the International Maritime Organisation; or

Explanation: The rate of discharge is as per the "guidelines developed by the organisation by resolution MEPC.157(55) as may be amended by the organisation";

(b) the vessel has in operation an approved sewage treatment plant which has been certified by the Director-General to meet the operational requirements referred to in clause (a) of sub-paragraph (1) of paragraph 1 of this Schedule, and the effluent shall not produce visible floating solids nor cause discoloration of the surrounding water.

(2) The provisions of sub-paragraph (1) shall not apply to vessels operating in the waters under the jurisdiction of another country while the vessel is in such country's waters and are discharging sewage in accordance with such less stringent requirements as may be imposed by such country.

(3) Subject to the provisions of rule 4, the discharge of sewage from a passenger vessel within a special area shall be prohibited,-

(a) for a new passenger vessel, on a date determined by the organisation pursuant to clause (b) of sub-rule (3) of rule 10, but in no event prior to 1 June, 2019; and

(b) for existing passenger vessels, on a date determined by the organisation pursuant to clause (b) of sub-rule (3) of rule 10, but in no event prior to 1 June, 2021,

except when it is satisfied that the vessel has in operation an approved sewage treatment plant which has been certified by the Director-General to meet the operational requirements referred to in clause (a) of sub-paragraph (3) of paragraph 1 of this Schedule and the effluent shall not produce visible floating solids nor cause discoloration of the surrounding water.

(4) When the sewage is mixed with wastes or waste water covered by other rules enacted under Part VII of the Act, the requirements of those rules shall be complied with in addition to the requirements of these rules.

4. **Sewage holding tanks.** – (1) Sewage holding tanks shall have following capacity for the retention of all sewage, having regard to the operation of the vessel, the number of persons on board and other relevant factors.

Type of discharge Control	Liters per Person Per Day	
	Conventional System	Vacuum System
Sewage (black water)	60	25
Sewage (black and grey water)	230	185

(2) Capacity of the tank should be at least sufficient to hold the sewage for one day or as per the voyage pattern of the vessel, the maximum number of days operating in areas where the discharge of untreated sewage into the sea is prohibited (minimum one day).

(3) Sewage holding tanks shall be constructed to the satisfaction of the recognised organisation that classes the vessel and shall have a means to indicate visually the amount of its contents (e.g. a sight glass).

(4) The sewage system should not have fixed connections to ballast water systems.

(5) Additional requirements for vessels of less than 400 gross tonnage and certified to carry 15 persons or fewer. – (a) Every vessel of gross tonnage less than four hundred and certified to carry fifteen persons or fewer shall be provided with one of the following sewage handling arrangements,-

(i) a sewage treatment plant of a type approved by the Director-General; or

(ii) a sewage comminuting and disinfecting system approved by the Director-General; or

(iii) a holding tank of such capacity as is sufficient for the retention of all sewage generated on board, having regard to the number of persons carried and the vessel's service and voyage pattern.

(b) Provision of holding tank(s) may be considered by the Director-General or a recognised organisation acting on its behalf in lieu of a sewage treatment plant where voyages to offshore or distant ports are made only occasionally, subject to the capacity of the holding tank(s) being adequate taking into account the duration of such voyages and the total number of persons carried.

(c) Where a vessel of gross tonnage less than four hundred and certified to carry fifteen persons or lesser does not have a sewage handling system installed in accordance with clause (a) of sub-paragraph (5), the vessel shall –

(i) use onshore toilet facilities whenever possible; and/or

(ii) use portable toilet(s) to be later emptied to a sewerage or septic system on shore; or

(iii) retain sewage in an on-board holding tank for pumping out to shore reception facilities.

5. **Exceptional storage of treated wastewater, or grey water in ballast water tanks.** – (1) The Director-General may permit the use of ballast tanks as temporary storage of treated wastewater or grey water, where it may become necessary to store in ballast tanks in order to ensure compliance with the requirements under this rule, subject to the satisfaction of following conditions, namely:-

(i) The ballast tank is temporarily isolated from the ballast system, so that no accidental discharge via the ballast system can take place within restricted waters;

(ii) For treated wastewater and/or grey water, the ballast tank, pipes and pumps are adequately flushed prior to being returned to use for ballast;

(iii) The tank is verified gas free if it is to be entered after having carried treated wastewater and in particular, the atmosphere should be tested for the presence of Hydrogen Sulphide (H2S) gas;

(iv) The temporary treated wastewater or grey water holding tank shall not be located in hazardous areas of the vessel;

(v) Entries are to be made in the log book regarding the transfer and discharge of such treated wastewater and grey water to the ballast tank;

(vi) Port authorities to be informed of the temporary arrangement prior arrival to the port; and

(vii) Treated wastewater and the grey water being stored in such tank is to be discharged in accordance with the port or coastal State rules and requirements or is to be discharged beyond port limits, while vessel is enroute and beyond 12 nm from the nearest land.

(2) Where the treated wastewater or grey water is to be stored in ballast tank, the owner, master or person having authority over the vessel shall ensure that-

(a) the tank(s) shall be connected to only one system at any time;

(b) the system is to be arranged such that grey water or treated wastewater cannot contaminate the ballast water treatment system;

(c) the tank(s) shall be empty before change of use;

(d) the tank(s) shall be adequately flushed after containing grey water or treated wastewater, prior to being returned to use for ballast.

SCHEDULE II

FORM-I

[(*See* rule 6 (1))]

International Sewage Pollution Prevention Certificate

Issued under the provisions of the International Convention for the Prevention of Pollution from Vessels, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, as amended (hereinafter referred to as "the Convention"), under the authority of the Government of India.

By

………
………………………………………… (full designation of the competent person or organization authorized under the provisions of the Convention)

Particulars of ship[1]

Name of ship

………
…………………………

Distinctive number of letters

………
…

Port of registry

………
………………………

Gross tonnage

………
……………………….

Number of persons which the vessel is certified to carry

…………………………………………………………………………….

……
……………………………………………….

IMO Number[2]

New/existing vessel[3]

Date on which keel was laid or ship was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced

……
……………………………………

Type of ship for the application of regulation 11.3

New/Existing passenger ship[4]

Ship other than a passenger ship

THIS IS TO CERTIFY:

1. That the ship is equipped with a sewage treatment plant/comminuter/holding tank[5] and a discharge pipeline in compliance with regulations 9 and 10 of Annex IV of the Convention as follows:

1.1 Description of the sewage treatment plant:

Type of sewage treatment plant……………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………… Name of

[1] Alternatively, the particulars of ship may be placed horizontally in boxes
[2] Refer to the IMO Ship Identifcation Number Scheme adopted by the organization by resolution A 600915)
[3] Delete as appropriate
[4] Delete as appropriate
[5] Delete as appropriate

manufacturer ……………………………………………...........……………………………………….

The sewage treatment plant is certified by the Administration to meet the effluent standards as provided for in resolution MEPC.2(VI). ☐

The sewage treatment plant is certified by the Administration to meet the effluent standards as provided for in resolution MEPC.159(55) ☐

The sewage treatment plant is certified by the Administration to meet the effluent standards as provided for in the Guidelines on implementation of effluent standards and performance test for sewage treatment plants, adopted by resolution MEPC.227(64), as amended, including/excluding[6] the standards of section 4.2 thereof ☐

1.2 Description of comminuter:

Type of comminuter ……………………………………………………………………………………………………

Name of manufacturer ...…………………………………………………………………………………………….

Standard of sewage after disinfection ……………………………………………………………………………….

1.3 Description of holding tank:

Total capacity of holding tank .... m^3

Location ……………...…………………………………………………………………………………………………

1.4 A pipeline for the discharge of sewage to a reception facility, fitted with a standard shore connection

2. That the ship has been surveyed in accordance with regulation 4 of Annex IV of the Convention.

3. That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangements, and material of the vessel and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the vessel complies with the applicable requirements of Annex IV of the Convention.

This Certificate is valid until[7] .... subject to surveys in accordance with regulation 4 of Annex IV of the Convention.

Completion date of survey on which this Certificate

is based…………………………………………………………………dd/mm/yyyy

Issued at

………

(Place of issue of Certificate)

………………………… …….....…………………………………………………

(Date of issue) (Signature of authorized official issuing the Certificate)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

---

[6] Delete as appropriate

[7] date of expiry as specified by the administration in accordance with regulation 8.1 of Annex IV of the Convention. The day and the month of this date correspond to the anniversary date as defined in regulation 1.8 of Annex IV of the Convention.

Endorsement to extend the Certificate if valid for less than 5 years where regulation 8.3 applies

The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with regulation 8.3 of Annex IV of the Convention, be accepted as valid until (dd/mm/yyyy)……………………………….

Signed: ……….……………………………

(Signature of authorized official)

Place: …………………..…………………..

Date(dd/mm/yyyy): …………………

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement where the renewal survey has been completed and regulation 8.4 applies

The compiles with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with regulation 8.4 of Annex IV of the Convention, be accepted as valid until (dd/mm/yyyy):……………………………………………….

Signed: …………………………………….

(Signature of authorized official)

Place……………………………

Date (dd/mm/yyyy) : ……………….

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement to extend the validity of the Certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where regulation 8.5 or 8.6 applies

This certificate shall, in accordance with regulation 8.5 or 8.6* of Annex IV of the Convention, be accepted as valid until (dd/mm/yyyy) ………………………………….

Signed: …………………………………

(Signature of authorized official)

Place : ………………………………………

Date (dd/mm/yyyy) : ……………….

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

FORM-II

[(*See* rule 6 (3))]

Indian Sewage Pollution Prevention Certificate

Issued under the provisions of the Merchant Shipping (Prevention of Pollution by Sewage from Vessels) Rules, 2026, under the authority of the Government of India and in respect to the provisions of Annex IV of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, as amended (hereinafter referred to as "the Convention").

by

………
……………………………………… (full designation of the competent person or organization authorized under the provisions of the Paragraphs.)

Particulars of vessel[8]

Name of vessel

……

Distinctive number of letters

……

Port of registry

……

Gross tonnage

……

Number of persons which the vessel is certified to carry

……………………………………………………………………………….

IMO Number[9]………………………..

New/existing vessel[10]

Date on which keel was laid or vessel was at a similar stage of construction or, where applicable, date on which work for a conversion or an alteration or modification of a major character was commenced ……………………………

Type of vessel for the application of sub-paragraph (3) of paragraph 3 of the Schedule 1

New/Existing passenger vessel[11]

Ship other than a passenger vessel

THIS IS TO CERTIFY:

1. That the vessel is equipped with a sewage treatment plant/ comminuter/ holding tank and a discharge pipeline in compliance with paragraphs 1 and 2 of the Schedule-I to these rules as follows:

1.1 Description of the sewage treatment plant:

Type of sewage treatment plant ……………………………………………………………………………………… Name of manufacturer ………………………………………………...........…………………………………………….

The sewage treatment plant is certified by the Administration to meet the effluent standards as provided for in resolution MEPC.2(VI). ☐

[8] Alternatively, the particulars of ship may be placed horizontally in boxes

[9] Refer to the IMO Ship Identifcation Number Scheme adopted by the organization by resolution A 600915)

[10] Delete as appropriate

[11] Delete as appropriate

The sewage treatment plant is certified by the Administration to meet the effluent standards as provided for in resolution MEPC.159(55) ☐

The sewage treatment plant is certified by the Administration to meet the effluent standards as provided for in the Guidelines on implementation of effluent standards and performance test for sewage treatment plants, adopted by resolution MEPC.227(64), as amended, including/excluding[12] the standards of section 4.2 thereof ☐

1.2 Description of comminuter :

Type of comminuter ………

Name of manufacturer ...………………………………………………………………………………………………

Standard of sewage after disinfection ………………………………………………………………………………….

1.3 Description of holding tank:

Total capacity of holding tank .... m^3

Location …………..………………………………………………………………………………………

1.4 A pipeline for the discharge of sewage to a reception facility, fitted with a standard shore connection

2. That the vessel has been surveyed in accordance with rule 5 of these rules of the Convention.

3. That the survey shows that the structure, equipment, systems, fittings, arrangements, and material of the vessel and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the vessel complies with the applicable requirements of these rules

This Certificate is valid until[13] .... subject to surveys in accordance with rule 5

Completion date of survey on which this Certificate

is based…………………………………………………………………dd/mm/yyyy

Issued at

…… ………………………………… (Place of issue of Certificate)

………………………… ……..…………………………………………………

(Date of issue) (Signature of authorized official issuing the Certificate)

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement to extend the Certificate if valid for less than 5 years where sub-rule (4) of rule 9 applies

The vessel complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with sub-rule (4) of rule 9, be accepted as valid until (dd/mm/yyyy): ……………………………………….

[12] Delete as appropriate

[13] date of expiry as specified by the administration in accordance with paragraph (1) of rule 10. The day and the month of this date correspond to the anniversary date as defined in regulation subparagraph (b) Paragraph (1) of Rule 2

Signed: ………………………………….

(Signature of authorized official)

Place: ………………………………………

Date (dd/mm/yyyy): ……………….

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement where the renewal survey has been completed and sub-rule (5) of rule 9 applies

The vessel complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in accordance with sub-rule (5) of rule 9 be accepted as valid until

(dd/mm/yyyy): ………………………………………………………………………..

Signed ……………………………………..

(Signature of authorized official)

Place: ………………………………………

Date (dd/mm/yyyy) : ……………….

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

Endorsement to extend the validity of the Certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where sub-rules (6) or (7) of rule 9 applies

This certificate shall, in accordance with sub-rules (6) or (7) of rule 9 be accepted as valid until (dd/mm/yyyy/)……………………………………………………

Signed: ……………………………………..

(Signature of authorized official)

Place : ………………………………………

Date (dd/mm/yyyy) : ……………….

(Seal or stamp of the authority, as appropriate)

---

*Delete as appropriate

FORM III

Form of Exemption Certificate for UNSP Barges

[*See* rule 8]

INTERNATIONAL SEWAGE POLLUTION PREVENTION EXEMPTION CERTIFICATE FOR UNMANNED NON-SELF-PROPELLED (UNSP) BARGES

Issued under the provisions of the International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978, as amended, relating thereto (hereinafter referred to as "the Convention") under the authority of the Government of:

………………………………………………………………………………………………

(full designation of the country)

by ……………………………………………………………………………………………

(full designation of the competent person or organization authorized under the provisions of the Convention)

Particulars of ship[14]

[14] Alternatively, the particulars of ship may be placed horizontally in boxes

Name of vessel ……………………………………….

Distinctive number or letters …………………………

Port of registry …………………………………………

Gross tonnage ………………………………………….

THIS IS TO CERTIFY:

1 That the unmanned non-self-propelled (UNSP) barge has been surveyed in accordance with regulation 3.2 of Annex IV to the Convention;

2 That the survey shows that the unmanned non-self-propelled (UNSP) barge:

1. is not propelled by mechanical means;
2. has neither persons nor living animals on board;
3. is not used for holding sewage during transport; and
4. has no arrangements that could produce sewage as defined in regulation 1.3 of Annex IV to the Convention; and

3 That the UNSP barge is exempted, under regulation 3.2 of Annex IV to the Convention, from the certification and related survey requirements of regulations 4.1 and 5.1 of Annex IV to the Convention.

This certificate is valid until (*dd/mm/yyyy*) …………………………………. subject to the exemption conditions being maintained.

Completion date of the survey on which this certificate is based (*dd/mm/yyyy*) ……………….

Issued at ……………………………………………………………

(place of issue of certificate)

....

(date of issue) (*dd/mm/yyyy*): *(Signature of duly authorized official issuing the certificate)*

(seal or stamp of the authority, as appropriate)

[F. No. SY-19014/198/2025-MG]

MUKESH MANGAL, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2026.07.17 12:44:24 +05'30'